सिडबी

वार्षिक प्रतिवेदन

2017–18

(पार्ट - II)

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए महात्मा गांधीजी के
दृष्टिकोण को प्रशस्त करने के पथ पर

परिशिष्ट–I

सिडबी के लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी के साथ लेखापरीक्षित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
के अंशधारक

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ("बैंक") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2018 तक की अवधि का तुलन पत्र और वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक जानकारी और इसका सारांश शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों में 25 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, जिनका हमने लेखा–परीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया और इसमें प्रधान कार्यालय के खातों सहित, अग्रिमों का 98.31%, जमाओं का 99.60%, उधार का 100%, अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.36% तथा जमा एवं उधार पर ब्याज व्यय का 100% भी शामिल है। ये शाखाएं बैंक की सलाह से चयनित की गयी हैं। हमने बैंक की शेष शाखाओं का दौरा नहीं किया और उनके विवरणों की प्रधान कार्यालय में समीक्षा की।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग–अलग वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हो, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त हों।

लेखा–परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा–परीक्षा–मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा–परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा–परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा–परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं। इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा–धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या–कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा–परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा–प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता पर राय देना नहीं होता। लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा–परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करती है, जो बैंक के लिए आवश्यक है और भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं :

क) तुलन–पत्र के मामले में, बैंक के 31 मार्च, 2018 तक के कामकाज की स्थिति

ख) लाभ–हानि खाते के मामले में, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की स्थिति

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि

1. तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

2. हमने वे समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार

लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

3. हमारी राय में, जहां तक खाता–बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधि के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।

4. इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण खाता–बहियों के अनुरूप है।

5. हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेन–देन बैंक की शक्तियों के अंदर ही किए गए हैं।

6. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों द्वारा प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा–परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

7. हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा–मानकों का अनुपालन किया गया है।

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794डब्ल्यू

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम. नं. 010279

स्थानः कैंप दिल्ली
दिनांकः 12 मई, 2018

31 मार्च, 2018 का तुलन–पत्र

[राशि ₹ में]

	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पूँजी एवं देयताएँ			
पूँजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	1,43,59,98,17,005	1,30,69,51,76,335
जमा	III	4,03,74,61,14,199	1,58,61,92,17,622
उधार	IV	4,66,09,11,12,071	4,34,42,90,58,053
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	69,13,74,48,226	67,54,21,68,867
आस्थगित कर देयता (नोट 20 का सदर्भ लें)		80,08,18,451	21,84,93,690
योग		**10,88,69,45,30,262**	**7,96,82,33,34,877**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	10,31,46,03,434	9,82,29,33,216
निवेश	VII	92,02,12,79,977	77,58,15,40,345
ऋण एवं अग्रिम	VIII	9,52,90,68,68,896	6,82,89,63,15,860
स्थिर आस्तियां	IX	2,40,83,72,938	2,05,67,86,919
अन्य आस्तियां	X	31,04,34,05,017	24,46,57,58,537
योग		**10,88,69,45,30,262**	**7,96,82,33,34,877**
आकस्मिक देयताएं	XI	89,79,97,51,555	1,00,11,75,13,357
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		
उक्त अनुसूचियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पर

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

[राशि ₹ में]

आय	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
ब्याज एवं बट्टा	XII	61,79,65,52,201	60,70,83,67,227
अन्य आय	XIII	4,20,75,66,787	2,74,96,49,654
योग		**66,00,41,18,988**	**63,45,80,16,881**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार (नोट 3 देखें)		40,82,58,44,806	40,46,36,24,495
परिचालन व्यय	XIV	5,10,70,54,913	5,32,66,67,698
प्रावधान और आकस्मिकताएं		44,67,44,477	79,30,41,637
कुल योग		**46,37,96,44,196**	**46,58,33,33,830**
कर–पूर्व लाभ		**19,62,44,74,792**	**16,87,46,83,051**
आयकर के लिए प्रावधान (नोट 21 देखें)		4,74,99,75,461	5,87,37,95,960
आस्थगित कर समायोजन [आस्ति/देयता (नोट 20 देखें)]		58,23,24,762	(20,09,06,482)
कर–पश्चात लाभ		14,29,21,74,569	11,20,17,93,573
अग्रानीत लाभ		43,56,01,325	40,45,78,028
कुल लाभ/(हानि)		**14,72,77,75,894**	**11,60,63,71,601**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		12,20,00,00,000	9,30,00,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		70,00,00,000	70,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	2,02,40,174
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		2,00,00,000	2,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		1,14,36,32,367	93,93,08,909
लाभांश पर कर		23,28,16,641	19,12,21,193
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		43,13,26,886	43,56,01,325
योग		**14,72,77,75,894**	**11,60,63,71,601**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन नोट 17 और 31 देखें)		26.87	21.47
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		
उक्त अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखे का अभिन्न अंग है।			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पर

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची I	पूंजी		
	(क) प्राधिकृत पूंजी	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
	– ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/– प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
	– अधिमान शेयर पूंजी (₹ 10/– प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
	(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
	– ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/– प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
	– अधिमान शेयर पूंजी	-	-
	योग	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**
अनुसूची II	आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां		
	क) आरक्षितियां		
	i) सामान्य आरक्षितियां		
	- अथ शेष	95,79,51,37,200	85,94,31,73,555
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,20,00,00,000	9,85,19,63,645
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	1,07,99,51,37,200	95,79,51,37,200
	ii) शेयर प्रीमियम		
	- अथ शेष	16,68,07,79,690	7,13,01,77,500
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	9,55,06,02,190
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
	iii) विशेष आरक्षितियां		
	क) निवेश आरक्षिति		
	- अथ शेष	-	55,19,63,645
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	55,19,63,645
	- इति शेष	**-**	**-**
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
	- अथ शेष	14,27,00,00,000	13,57,00,00,000
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,00,00,000	70,00,00,000
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	**14,97,00,00,000**	**14,27,00,00,000**
	ग) अन्य आरक्षितियाँ		
	I) निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षिति		
	- अथ शेष	70,37,86,026	68,35,45,852

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	2,02,40,174
	- वर्ष के दौरान उपयोग		
	- इति शेष	**70,37,86,026**	**70,37,86,026**
	ख) लाभ–हानि खाते में अधिशेष	**43,13,26,886**	**43,56,01,325**
	ग) निधियाँ		
	क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
	- अथ शेष	2,56,29,86,071	2,55,40,61,491
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	65,68,575	89,24,580
	- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	- इति शेष	2,56,95,54,646	2,56,29,86,071
	ख) स्टाफ कल्याण निधि		
	- अथ शेष	24,68,86,023	24,52,11,745
	- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,00,00,000	2,00,00,000
	- वर्ष के दौरान उपयोग	1,76,53,466	1,83,25,722
	- इति शेष	24,92,32,557	24,68,86,023
	ग) अन्य	-	-
	योग	**1,43,59,98,17,005**	**1,30,69,51,76,335**
अनुसूची III	**जमा**		
	क) सावधि जमा	**53,74,61,14,199**	**20,48,37,42,622**
	ख) बैंको से		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	2,80,00,00,00,000	90,00,00,00,000
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	15,00,00,00,000	15,00,00,00,000
	ग) अन्य–विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
	घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
	ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014–15 के अंतर्गत	50,00,00,00,000	28,13,54,75,000
	उप–योग (ख)	**3,50,00,00,00,000**	**1,38,13,54,75,000**
	योग	**4,03,74,61,14,199**	**1,58,61,92,17,622**
अनुसूची IV	**उधारियां**		
	I) भारत में उधारियां		
	1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
	2. भारत सरकार से (नोट 7 का सदर्भ लें) (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	22,16,75,23,471	22,50,10,65,132
	3. बॉण्ड एवं डिबैंचर (नोट 1 का सदर्भ लें)	1,65,49,00,00,000	93,01,00,00,000
	4. अन्य स्रोतों से		
	– वाणिज्यिक पत्र	57,00,00,00,000	1,75,80,00,00,000
	– जमा प्रमाण पत्र	1,02,03,00,00,000	10,75,00,00,000

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	पूंजी एवं देयताएं	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	- बैंकों से सावधि ऋण	5,14,97,50,157	6,43,37,83,120
	- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
	- अन्य (नोट 11 का संदर्भ लें)	2,99,81,04,466	13,71,89,34,745
	उप–योग (I)	**3,54,83,53,78,094**	**3,22,21,37,82,997**
	II) भारत से बाहर उधारियां		
	(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	15,46,66,00,852	13,82,11,29,853
	(ख) जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	41,56,06,40,163	43,35,71,46,562
	(ग) आईएफएड़ी, रोम (नोट 15 का सदर्भ लें)	1,16,52,80,010	1,12,73,11,010
	(घ) विश्व बैंक	49,29,67,67,641	49,82,91,45,632
	ञ) अन्य	3,76,64,45,311	4,08,05,41,999
	उप–योग (II)	**1,11,25,57,33,977**	**1,12,21,52,75,056**
	योग (I और II)	**4,66,09,11,12,071**	**4,34,42,90,58,053**
अनुसूची V	**अन्य देयताएं व प्रावधान**		
	उपचित ब्याज	20,79,29,45,100	15,00,12,66,810
	सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	2,17,11,80,143	1,94,67,77,333
	सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	45,98,78,213	3,10,02,47,991
	बीमारी की छुट्टी निधि के लिए प्रावधान	21,12,89,197	15,64,21,851
	चिकित्सा सहायता योजना निधि के लिए प्रावधान	19,30,76,860	24,20,93,347
	कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2,72,65,14,780	2,13,50,44,197
	अन्य (प्रावधान सहित) (नोट 10, 24 एवं 27 का सदर्भ लें)	35,84,05,17,044	39,10,40,81,495
	विदेशी मुद्रा दर उतार–चढ़ाव हेतु प्रावधान (नोट 6 का सदर्भ लें)	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
	मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान (नोट 25 का सदर्भ लें)	3,82,82,35,115	3,18,83,42,975
	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) (नोट 18 का सदर्भ लें)	1,37,64,49,008	1,13,05,30,102
	योग	**69,13,74,48,226**	**67,54,21,68,867**

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची VI	**नकदी और बैंक अतिशेष**		
	1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,13,630	6,75,054
	2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	20,69,20,084	27,84,72,360
	ii) अन्य निक्षेप खातों में (नोट 12 का सदर्भ लें)	2,49,98,73,284	2,35,19,83,362
	(ख) भारत से बाहर		
	i) चालू खातों में	6,58,942	4,51,903
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	7,60,65,37,494	7,19,13,50,537
	योग	**10,31,46,03,434**	**9,82,29,33,216**
अनुसूची VII	**निवेश [प्रावधानों को घटाकर]**		
	क) राजकोषीय परिचालन		
	1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	4,55,71,12,568	3,96,80,00,401
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	23,95,12,137	23,95,12,137
	3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	12,66,68,18,755	10,97,74,52,685
	4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	2,48,80,48,275	2,48,80,48,275
	5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	–	-
	6. अन्य	42,66,30,80,482	32,02,75,73,351
	उप–योग (क)	**62,61,45,72,217**	**49,70,05,86,849**
	ख) व्यवसाय परिचालन		
	1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,75,12,24,775	1,14,92,61,420
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	-	-
	3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	3,82,54,41,280	4,05,77,31,494
	4. सहायक संगठनों में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
	5. अन्य	6,31,95,42,965	5,16,34,61,842
	उप–योग (ख)	**29,40,67,07,760**	**27,88,09,53,496**
	योग (क + ख)	**92,02,12,79,977**	**77,58,15,40,345**
अनुसूची VIII	**ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]**		
	क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
	– बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (नोट 8 का सदर्भ लें)	7,26,22,51,69,807	4,85,03,25,11,104
	– अल्प वित्त संस्थाए	15,79,76,70,001	23,07,50,81,449
	– गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,14,11,67,93,703	68,66,82,93,916
	– बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
	– अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
	उप–योग (क)	**8,56,13,96,33,511**	**5,76,77,58,86,469**

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	ख) प्रत्यक्ष ऋण		
	– ऋण एवं अग्रिम	87,74,77,86,153	95,40,64,92,741
	– प्राप्य वित्त योजना	9,01,94,49,232	10,70,86,54,657
	– भुनाए गए बिल	-	52,81,993
	उप–योग (ख)	**96,76,72,35,385**	**1,06,12,04,29,391**
	योग (क + ख)	**9,52,90,68,68,896**	**6,82,89,63,15,860**
अनुसूची IX	**स्थिर आस्तियां (नोट 23 का सदर्भ लें) [मूल्यह्रास घटाकर]**		
	1. परिसर (नोट 5 एवं 14 का सदर्भ लें)	2,38,98,20,372	2,03,57,06,345
	2. अन्य	1,85,52,566	2,10,80,574
	योग	**2,40,83,72,938**	**2,05,67,86,919**
अनुसूची X	**अन्य आस्तियां**		
	उपचित ब्याज	16,46,00,48,900	16,14,41,28,757
	अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	3,38,43,98,721	3,23,22,13,344
	अन्य	5,64,18,92,790	1,63,77,66,607
	व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है (नोट 2 का सदर्भ लें)	5,55,70,64,606	3,45,16,49,829
	कुल	**31,04,34,05,017**	**24,46,57,58,537**
अनुसूची XI	**आकस्मिक देयताएं**		
	i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	3,53,80,94,592	3,78,35,70,266
	ii) गारंटियों/साख–पत्रों के फलस्वरूप	59,49,90,462	1,06,70,90,288
	iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	57,76,04,313	4,18,59,06,954
	iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
	v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबैंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	-	-
	vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	85,08,90,62,188	91,08,09,45,849
	योग	**89,79,97,51,555**	**1,00,11,75,13,357**

लाभ और हानि लेखे के लिए अनुसूची

[राशि ₹ में]

		31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची XII	**ब्याज एवं बट्टा**		
	1. ऋणों अग्रिमों और बिलों पर ब्याज और बट्टा	58,22,02,55,330	57,07,98,42,609
	2. निवेशों / बैंक अधिशेषों पर आय	3,57,62,96,871	3,62,85,24,618
	योग	**61,79,65,52,201**	**60,70,83,67,227**
अनुसूची XIII	**अन्य आय**		
	1. अग्रिम देय एवं संसाधन शुल्क	20,95,56,263	28,42,39,805
	2. कमीशन एवं दलाली	1,83,08,305	2,42,76,355
	3. निवेशों की बिक्री पर लाभ	1,16,51,82,129	1,44,29,13,742
	4. सहयोगी / सहायक संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	18,06,26,903	6,14,14,574
	5. पिछले वर्षों के बट्टे खाते डाले गए के लिए प्रावधान	–	–
	6. अन्य (नोट 13 देखें)	2,63,38,93,187	93,68,05,178
	योग	**4,20,75,66,787**	**2,74,96,49,654**
अनुसूची XIV	**परिचालन व्यय**		
	कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान (नोट 16.9 देखें)	3,79,44,65,377	4,07,09,39,524
	किराया, कर और प्रकाश	20,06,75,587	21,20,12,457
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	98,12,612	1,04,85,129
	विज्ञापन और प्रचार	3,39,22,299	2,77,29,482
	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / ऋण–परिशोधन	1,13,3,97,507	20,05,08,564
	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	55,98,607	57,67,190
	लेखा परीक्षक शुल्क	35,73,052	64,46,071
	विधि प्रभार	1,37,60,919	1,53,25,992
	डाक, कोरियर, टेलीफोन आदि	23,26,271	28,62,042
	मरम्मत और रखरखाव	9,45,67,488	10,95,30,935
	बीमा	47,17,314	53,97,631
	सीजीटीएमएसई में योगदान	-	4,44,41,750
	अन्य व्यय	83,02,37,880	61,52,20,931
	योग	**5,10,70,54,913**	**5,32,66,67,698**

तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV – महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा–नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियाँ और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा–मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण

क) आय

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा प्राप्त बट्टा राशि को लिखतों की मीयाद के अनुसार संविभाजित कर दिया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा–प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर आय माना गया है।

vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दण्डात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. पिछले वर्षों में बट्टा खाते में डाले गए ऋण के संदर्भ में प्राप्त राशि को लाभ और हानि खाते में आय के रूप में लिया गया है।

x. निवेश को बिक्री में लाभ या हानि : किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री में लाभ या हानि को लाभ–हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

xi. (सांविधिक देनदारियों के अलावा) सात साल से अधिक की अवधि से दावा न की गयी देयताओं की राशि को आय के रूप में माना गया है।

ख) व्यय

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश

i) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति प्राप्तियां, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित : परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) हेतु प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग–अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित : अल्पावधि मूल्य/ब्याज–दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप–अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग–अलग स्क्रिपों के बही–मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ–हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार/उद्धृत निवेश के संबंध में, स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों/उद्दृत बाजार मूल्य को लिया जाता है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध : उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग–अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया गया है। अलग–अलग स्क्रिपों के बही–मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका ब्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

vii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

viii) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ–हानि लेखे में दर्शाया गया है।

ix) ऋण–निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि–ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री–राशि से अलग रखा गया है।

x) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

xi) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित कियागया है।

xii) (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क–अप को लागू किया गया हैं।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा–बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)–11 के अनुसार किया गया है।

i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन–पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा–दर में परिवर्तित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ–हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण–व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के

परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

5. व्युत्पन्नी

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर–मुद्रा ब्याज–दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण और अग्रिम

1. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

2. तुलन–पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

3. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

4. चल प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. कराधान

i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय–कर की गणना आय–कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय–कर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि के आधार पर की जाती है।

ii) आस्थगित आय–कर, वर्ष की कर–योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर–कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर–योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर–योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8. प्रतिभूतीकरण

i) बैंक क्रेडिट रेटिंग–युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति–समूहों को बैंकों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास–थ्रू–प्रमाणपत्रों के जरिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति–समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति–प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही–मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ–हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ–हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस

प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ–हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे–क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन–पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथासंसोधित 2005) – कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

iii) बीमांकिक लाभ/हानि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ–हानि लेखे में दर्ज किए जाते हैं।

iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ–हानि खाते में भारित होता है।

v) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ–हानि लेखे में दर्ज किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

vi) स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ–हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख. सेवा–कालिक (अल्पाविधि) लाभ

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर–बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

क) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ख) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो) –

i) फर्नीचर और फिक्स्चर : बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ – 100 प्रतिशत की दर से

ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर – 100 प्रतिशत की दर से

iii) भवन–मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर–5 प्रतिशत की दर से

iv) विद्युत संस्थापनाएं : बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ– मूल्यह्रासित मूल्य–पद्धति पर – 50 प्रतिशत की दर से

v) मोटरकार – सीधी रेखा पद्धति – 50 प्रतिशत की दर से

ग) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

घ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि–पर्यन्त किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

एएस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन–पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन–पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ–हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को आस्तियों की रख–रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

क) क्षति– हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन–निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रखरखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति–हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

अनुसूची XVI – लेखे की टिप्पणियाँ

[राशि ₹ में]

		31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
1	अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल है		
	प्रतिभूतिरहित बॉण्ड	1,65,49,00,00,000	93,01,00,00,000
2	अनुसूची X में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं		
	क) आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	16,92,53,445	21,15,66,806
	ख) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा – जमा पत्र	4,41,28,19,648	58,74,85,424
	ग) अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा – वाणिज्य पत्र	95,13,63,287	2,63,83,88,518
	घ) अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	2,36,28,226	1,42,09,081
3	ब्याज व वित्तीय प्रभार		
	क) उधारियों पर ब्याज	17,36,82,65,296	22,65,83,66,622
	ख) जमा पर ब्याज	17,28,27,64,801	10,99,39,06,063
	ग) वित्तीय प्रभार	6,17,48,14,710	6,81,13,51,810
	योग	**40,82,58,44,807**	**40,46,36,24,495**
4	अप्रावधानित पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोडकर)	1,02,46,63,903	3,21,29,675

5. अनुसूची IX में परिसर अभिग्रहण से संबंधित अग्रिम राशियां ₹ 11,06,68,896 (पिछले वर्ष – ₹ 12,34,099) एवं प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य से संबंधित ₹ 3,83,22,688 (पिछले वर्ष – ₹ 3,41,88,676) शामिल हैं।

6. जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन –जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत (31 मार्च 2018 तक 11.71 बिलियन जापानी येन) प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार–चढाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। अधिसूचित दर पर लागू ब्याज को इस ईआरएफएफ खाते में जमा किया जाता है और अनुबंधित दर पर जाइका को देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इसके अलावा, ईआरएफएफ खाते में आरंभिक शेषराशि पर निर्धारित दर से अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गणना की जाती है। विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण मूलधन खाते में आए ₹ 348,90,46,842 के अंतर (पिछले वर्ष – ₹ 346,38,73,018) को भारत सरकार की अनुमति के स्वरूप विनिमय दर उतार–चढाव निधि में समायोजित किया गया है। यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा। यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है, तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा। चूंकि ईआरएफएफ के तहत मौजूदा बकाया से ऋण सेवा और विनिमय दर में उतार–चढ़ाव संबंधी आवश्यकता के पूरे हो जाने की आशा है, ईआरएफएफ में आगे योगदान तब तक के लिए समाप्त कर दिया गया है जब तक कि ईआरएफएफ में शेषराशि जाइका-V ऋणसीमा के अंतर्गत बकाया ऋण की तुलना में अधिशेष बनी रहे।

7. जेबीआईसी ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 261,65,33,300 (पिछले वर्ष – ₹ 305,26,22,182) की उधारी को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV – उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रुपए मूल्य में अग्रेनीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई (आईएनआर में मुद्रा–विनिमय के उपरांत समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से डेबिट किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2018 को शेष ₹ 250,24,79,068 (पिछले वर्ष – ₹ 281,96,49,464) है।

8. 31 मार्च, 2018 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त के तहत ऋण और अग्रिमों में – अनुसूची VIII में अल्प वित्त बैंकों को दिया गया पुनर्वित्त ₹ 37,03,72,29,886 (पिछले वर्ष ₹ 5,85.00,00,000) शामिल है।

9. बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण–व्यवस्था की संविदा की। यह टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के तुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया फंड जारी किया, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के

रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो। तदनुसार उक्त ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक 56.02 मिलियन अमेरिकी डालर (₹ 532.30 करोड़ के बराबर) (गत वर्ष 59.31 मिलियन अमेरिकी डालर (₹ 522.04 करोड़ के बराबर), के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्वारा विदेशी मुद्रा वायदा करार के जरिए किया जा रहा है। इसे अनुसूची IV – 'भारत में उधारियाँ' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

10.क) भारत सरकार ने सिडबी में ₹ 300 करोड़ की समूह निधि वाली "इंडिया माइक्रोफाइनान्स इक्विटी निधि" सृजित की है। इस निधि का उपयोग सामाजिक रुझान वाली छोटी माइक्रोफाइनान्स कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टियर – II तथा टियर – III की उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं को ईक्विटी सहायता अथवा किसी अन्य रूप में पूँजी प्रदान करते हुए किया जाएगा, जिनका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन तथा देश के असेवित और अल्पसेवित भागों में परिचालनों का दीर्घावधि टिकाऊपन हासिल करना है। इस निधि का परिचालन / प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है, जिसके लिए सिडबी को 1% वार्षिक का प्रशासनिक शुल्क प्राप्त होता है। साथ ही, आगम व निर्गम राशियों को इस निधि में नामे / जमा किया जाता है। अतः निवेश को हटाकर आईएमईएफ फंड का शेष, तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31मार्च 2018 तक निधि में अथशेष ₹ 216,42,49,205 (पिछले वर्ष ₹ 194,61,83,900) रहा।

ख) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹ 60 करोड़ की आकंक्षा निधि का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित स्टार्ट–अप / नये उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन–पूर्व वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ₹ 250 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्धता से जनवरी 2018 में सिडबी को ₹ 40 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2018 तक निधि में शेष राशि ₹ 90,49,90,811 (पिछले वर्ष ₹ 56,44,38,500) रही।

ग) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी की सहायता को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनायी है। योजना के अंतर्गत ₹ 10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंधन सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹ 600 करोड़ सिडबी को दिए हैं तथा ₹ 1,600 करोड़ की अतिरिक हामीदारी की भी अनुमति प्रदान की है। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। अतः इसे तुलनपत्र में अन्य देयताओं के संवर्ग में समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2018 तक निधि में शेष राशि ₹ 510,77,99,574 (पिछले वर्ष ₹ 589,95,88,134) रही।

11. बैंक ने कुल अंकित मूल्य ₹ 452,82,00,000 (बही मूल्य ₹ 471,36,68,932) गत वर्ष ₹ 382,82,00,000 (बही मूल्य ₹ 401,24,61,432 की भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को संपार्श्वीकृत उधार एवं ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) हेतु क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखा है। साथ ही, बैंक ने आईडीबीआई बैंक के साथ कार्यशील पूँजी व्यवस्था के अंतर्गत अपने परिचालनों के लिए आईडीबीआई बैंक के पास सावधि जमा राशियां रखी हैं।

12. हेजिंग रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन निक्षेपों के प्रति भारतीय रुपये में ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है। इन ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को बकाया राशि ₹ 514,97,50,157 (गत वर्ष ₹ 643,37,83,119) थी। यथा 31 मार्च, 2018 को इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के उधारों पर देय ब्याज से मेल खाता है।

13. अन्य आय – अनुसूची XIII में शामिल हैं – विगत वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹ 182,80,34,855 (गत वर्ष ₹ 46,52,53,766)

14. कतिपय अधिकारी फ्लैटों के विक्रय विलेख, विधिक मामले लंबित होने के कारण निष्पादित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च, 2018 को इन फ्लैटों का निवल मूल्यह्रासित मूल्य ₹ 279,17,744 (गत वर्ष – ₹ 786,93,743) है। बैंक ने सरकारी प्राधिकारियों से कुछ पूर्ण–स्वामित्व के भू–खंड का अधिग्रहण किया है। भूमि विकास प्राधिकरणों से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रचलित प्रथा के अनुसार, बैंक इस तरह के भूमि के संबंध में प्राप्त होने वाले भावी दावों, यदि कोई हो तो, का भुगतान करने पर सहमत हो गया है। आज तक कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

15. "आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2018 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹ 116,52,80,010 (गत वर्ष ₹ 112,73,11,010) है।

16. **कर्मचारी लाभः** "कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (2005 में संशोधित) पर इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :

(क) सुपरिभाषित अंशदान प्लान

बैंक ने निम्नलिखित राशियों को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया है : [राशि ₹ में]

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	5,83,87,971	4,36,88,123
नयी पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	1,91,20,772	1,45,96,318

(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंधन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है [₹ करोड़ में]

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष	2018	2017	2018	2017
1.	**धारणाएँ**				
	भुनाई दर	7.72%	7.21%	7.73%	7.29%
	नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.72%	7.21%	7.73%	7.29%
	वेतन बढोतरी	6.00%	7.00%	6.00%	7.00%
	ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	408.10	344.27	75.49	73.09
	ब्याज लागत	29.42	26.72	5.50	5.81
	वर्तमान सेवा लागत	12.73	10.83	5.27	4.92
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	31.43	0.00
	देयता अंतरण आगम	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(4.58)	(4.62)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.78	26.28	(2.06)	(3.71)
	वर्ष के अंत में देयता	452.03	408.10	111.05	75.49
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	98.07	90.47	111.78	106.46
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.07	7.02	8.15	8.47
	अंशदान	300.00	0.00	0.00	1.19
	अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(4.58)	(4.62)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.32	0.58	(0.10)	0.29
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	405.46	98.07	115.25	111.79
4.	**बीमांकिक लाभ (हानि) पहचान तालिका**				
	दायित्व अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.78	26.28	(2.07)	(3.71)
	अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(0.32)	(0.58)	0.10	(0.29)
	आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.46	25.70	(1.97)	(4.00)

[₹ करोड़ में]

	वित्त वर्ष	पेंशन 2018	पेंशन 2017	ग्रेच्युटी 2018	ग्रेच्युटी 2017
5.	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	7.07	7.02	8.15	8.47
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.32	0.58	(0.10)	0.29
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	7.39	7.60	8.05	8.76
6.	**तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि**				
	वर्ष के अंत में देयता	(452.02)	(408.09)	(111.05)	(75.50)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	405.46	98.07	115.25	111.79
	अंतर	(46.56)	(310.02)	4.20	36.29
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित अंतवर्ती देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	(46.56)	(310.02)	4.20	36.29
7.	**आय विवरणी में निर्धारित व्यय**				
	चालू सेवा लागत	12.73	10.84	5.27	4.92
	ब्याज लागत	22.35	19.69	(2.64)	(2.66)
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	0.00	0.00	(1.97)	(4.00)
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत/(गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत/(निहित लाभ)	0.00	0.00	31.43	0.00
	वर्ष के दौरान अंतवर्ती देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.46	25.70	0.00	0.00
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	36.54	56.23	32.09	(1.74)
8.	**तुलनपत्र समाधान**				
	आरंभिक निवल देयता	310.02	253.80	(36.29)	(33.37)
	यथोक्त व्यय	36.54	56.23	32.09	(1.74)
	नियोक्ता का अंशदान	(300)	0.00	0.00	(1.18)
	तुलनपत्र में निर्धारित राशि	46.56	310.03	(4.20)	(36.29)
9.	**अन्य विवरण** : बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप होता है				
	अगले वर्ष (12 महीने) के लिए अनुमानित अंशदान	28.55	25.08	1.40	0.00
10.	**आस्तियों की श्रेणी**				
	भारत सरकार आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
	विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
	सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां (भारतीय जीवन बीमा निगम)	405.46	98.07	115.25	111.79
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**405.46**	**98.07**	**115.25**	**111.79**

11.	अनुभव समायोजन	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वित्त वर्ष	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
	योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर	66.81	(5.53)	22.70	(0.90)	24.34	10.18	(7.91)	(6.20)	(0.56)	(3.72)
	योजनागत आस्ति (हानि)/लाभ पर	0.32	0.58	(0.17)	(1.43)	0.32	(0.10)	0.29	(0.40)	0.21	0.62

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ–हानि खाते में प्रभारित की गईं, इस प्रकार हैं

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	11.84	5.82
2	बीमारी अवकाश	5.49	0.69
3	पुनर्वास व्यय	0.00	0.06
4	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना	(3.51)	4.33

17. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)* :	**मार्च 31, 2018**	**मार्च 31, 2017**
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	14,29,21,74,569	11,20,17,93,573
प्रति शेयर ₹10 के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	52,18,38,283
प्रति शेयर अर्जन (₹)	26.87	21.47

* मूलभूत और प्रति शेयर अर्जन तथा अवमिश्रित प्रति शेयर अर्जन समान है क्योंकि अवमिश्रणीय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं

18. खाता बही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश संवितरण कर शामिल है) देयता के रूप में लेखाबही के अनुसूची V में गिना जाएगा

19. चालू वित्त वर्ष के दौरान निवेश आरक्षिति शून्य है (निदेशक मंडल के अनुमोदन से गत वर्ष के ₹ 55.20 करोड़ के अथशेष को सामान्य आरक्षिती में स्थानांतरित किया गया

20. लेखांकन मानक 22 आय पर कर हेतु लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर व्यय/बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखे में ₹ 58,23,24,762 की राशि (पिछले वर्ष आस्थगित कर आस्ति/देयता ₹ 20,09,06,482 थी) आस्थगित कर आस्ति मानी है. यथा 31 मार्च, 2018 को आस्थगित कर आस्ति/देयता के अलग अलग घटक निम्नलिखित है

समय अंतर	आस्थगित कर आस्ति/(देयताएँ) ₹	
	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
क) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1,21,30,753)	95,77,629
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)viii के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	(4,44,78,09,616)	(4,21,81,48,976)
ग) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	2,53,21,09,985	2,11,36,06,638
घ) भारत सरकार के बोंडों पर प्रीमियम का परिशोधन	(5,86,23,034)	(7,32,66,842)
ड़) खातों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	1,66,89,571	3,73,31,705
च) अन्य	1,16,89,45,397	1,91,24,06,158
निवल आस्थगित कर आस्ति/देयता	**(80,08,18,451)**	**(21,84,93,688)**

21. आयकर हेतु प्रावधान में शामिल है

[राशि ₹ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(i)	चालू आयकर प्रावधान	4,78,49,10,162	5,23,80,62,259
(ii)	गत वर्षों हेतु किए गए कम/बेशी आयकर प्रावधान	(3,49,34,701)	63,57,33,700

22. आकस्मिक देयताएं ₹ 353,80,94,592 (गत वर्ष ₹ 378,35,70,266) की हैं जिसमें आयकर एवं सेवाकर की देयता शामिल है। बैंक इससे सहमत नहीं है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹ 163,32,91,167 (गत वर्ष ₹ 51,82,80,309) शामिल है, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर अपील से संबंधित है।

23. प्रबंधन की राय में लेखांकन मानक 28 आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है।

24. लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2017 से अपेक्षित है। 01 नवंबर, 2012 से बकाये के निपटान के लंबित होने की स्थिति में, तदर्थ प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18		वित्त वर्ष 2016–17	
	बकाया वेतन / प्रोत्साहन ₹	अन्य प्रावधान ₹	बकाया वेतन / प्रोत्साहन ₹	अन्य प्रावधान ₹
आरम्भ शेष	1,72,11,68,333	4,71,960	82,93,00,000	3,75,81,575
जोड़े :				
बकाया वेतन	16,00,00,000	-	89,00,00,000	-
प्रोत्साहन	-	-	95,00,000	-
उपयोग			76,31,667	
पुनरांकन (प्रोत्साहन)	80,00,000	-	-	3,71,09,615
अंतिम शेष	**1,87,31,68,333**	**4,71,960**	**1,72,11,68,333**	**4,71,960**

अन्य प्रावधान में वे दावे शामिल है जो विभिन्न विधिक मामलों और ऐसी आकस्मिक देयताओं से संबंधित है जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है और जो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक के विरुद्ध दायर किए जाते हैं।

25. बैंक ने अपने अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 85/21.06.200/2013–14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 116/21.06.200/2013–14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2018 तक ₹ 0.17 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.14 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुसूची V में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2018 तक यू एफ सी ई के सन्दर्भ में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता "शून्य" है (गत वित्तीय वर्ष शून्य)।

26. अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर/जीएसटी) के कारण देयता दाखिल की गई विवरणी/पूरे किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित है

27. अनुसूची V के तहत अन्य देयताओं में आईडीबीआई सीपीए खाते में ₹ 28.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.46 करोड़) की शेष जमाराशि शामिल है जो समाधान के अधीन है।

28. चालू देयताओं के कुछ शेष पुष्टि और परिणामी–क्षति स्वरूप समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई हो तो। इसके अलावा, संबंधित एसएल के साथ कतिपय जीएल कूटों में शेष राशि समाधान की प्रक्रिया में हैं, जिनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

29. निवेशकों की शिकायते : यथा 1 अप्रैल 2017 तक बैंक के पास निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं थी। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान निवेशकों से "4" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "3" शिकायतों का निपटारा किया गया। इस प्रकार, यथा 31 मार्च 2018 तक केवल "1" शिकायत निपटान हेतु लंबित है।

30. इंड–एएस का कार्यान्वयन : "भारतीय रिजर्व बैंक के 4 अगस्त 2016 परिपत्र के अनुसार सिडबी को 1 अप्रैल 2018 के लेखा अवधि की शुरुआत से वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा विवरण (इंड–एएस) का अनुपालन करना होगा और 30 सितम्बर 2016 से समाप्त छमाही की विवरणी इंड–एएस के प्ररूप पर प्रस्तुत करना होगा। बैंक में इंड–एएस के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने एवं निर्देश देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है। प्रोफार्मा वित्तीय विवरणियाँ i) 30 सितंबर, 2016 को समाप्त हुए अर्द्धवर्ष हेतु स्टैंडअलोन ii) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित दोनों iii) 30 सितंबर, 2017 को समाप्त अर्द्धवर्ष के लिए स्टैंडअलोन – भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है।

वर्तमान में, सिडबी आईजीएपी वित्तीय विवरणियों के रूपांतरण के लिए एक्सेल–शीट का उपयोग इंड–एएस अनुपालक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणियों में कर रहा है।

31. प्रति शेयर अर्जन : बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और अवमिश्र अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल कमाई की गणना वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर अवमिश्र अर्जन उस समय सम्मुख आता है, जब प्रतिभूतियां या अन्य अनुबंध इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अवधि के दौरान उपयोग या परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर अवमिश्र अर्जन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया संभावित संभावित इक्विटी शेयरों के योग द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके परिगणित की जाती है।

32. दबावग्रस्त आस्तियों का वियोजन – पुनरीक्षित ढ़ांचा : 12 फरवरी, 2018 के आरबीआई के तनावग्रस्त संपत्तियों के वियोजन पर केंद्रित परिपत्र के अनुसार, पुनरीक्षित ढांचा, दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुत्थान हेतु ढांचा, नैगम ऋण पुनर्संरचना योजना, मौजूदा परियोजना संबंधी सावधि ऋणों, रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर) संबंधी लचीले संरचना, एसडीआर–बाह्य स्वामित्व में परिवर्तन और तनावग्रस्त आस्तियों को दीर्घकालिक रूप से संरचित करने के लिए योजना वापस ले ली गई है। इसलिए, वियोजन सीमा सहित प्रयोज्य सीमा तक ऋण वसूली नीति में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए उसे संशोधित किया जा रहा है।

33. एमटीएम हानियों का विस्तार : "बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकाधीन मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के परिपत्र के अनुसार – एमटीएम हानियों का विस्तार पर सिडबी ने 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 के लिए ₹ 9.09 करोड़ और ₹ 8.49 करोड़ के एमटीएम हानियों को क्रमशः चार तिमाहियों में विस्तारित कर दिया है। तत्पश्चात, निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार, एमटीएम हानियों को प्रतिभूतियों के अंतरण के समय एएफएस से एचटीएम श्रेणी में विनियोजित किया गया है।

34. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 की विनियम 14 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहायता निधि (एसआईडीएएफ) और सामान्य निधि के अधीन लेखों की प्रस्तुतीकरण के लिए अलग फारमैट निर्धारित करता है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसआईडीएएफ अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए सिडबी द्वारा इसे अलग से अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

35. बैंक में दीर्घकालिक संविदाएँ प्रमुख रूप से व्युत्पन्नी संविदाओं की प्रकृति के हैं, जिसे भौतिक पूर्वभासी हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है। वर्ष के अंत में, बैंक ने बही खाते में ऐसे दीर्घकालिक संविदाओं पर भौतिक पूर्वभासी हानियों के लिए यथा अपेक्षित पर्याप्त प्रावधान की समीक्षा की है और उसे अभिलिखित किया है।

36. पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समूहित और पुनर्वगीकृत किया गया है, ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन्हें चालू वर्षों के आंकड़ों से तुलनायोग्य बनाया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

1. पूंजी पर्याप्तता

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	14,038.50	12,895.49
iv)	टियर 2 पूंजी	0.00	0.00
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	14,038.50	12,895.49
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	52,523.92	45,371.40
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत) *	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	26.73%	28.42%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	26.73%	28.42%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	वर्धित ईक्विटी पूंजी की राशि	0.00	44.94
xii)	वर्धित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ख) सतत ऋण पत्र	-	-
xiii)	वर्धित टियर 2 पूंजी राशि जो	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर	-	-

* चूँकि बासेल-III नहीं लागू है अतः आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(क)	मानक आस्तियों पर प्रावधान		
	मानक आस्तियों (संचयी) पर प्रावधान	382.82	318.83
(ख)	चल प्रावधान		
	चल प्रावधान खाते में अथशेष	2,057.81	2,333.91
	लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
	लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि	315.60 **	276.10*
	चल प्रावधान खाते में इतिशेष	1,742.21	2,057.81

*अस्थायी प्रावधान पर बैंक की नीति के अनुसार 3 उधारकर्ताओं के खातों के सन्दर्भ में अनर्जक परिसंपत्तियां/अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए राशि का उपयोग किया गया.

** अस्थायी प्रावधान पर बैंक के नीति के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां/अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए राशि का उपयोग किया गया.

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान [₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(क)	अनर्जक अग्रिम		
(i)	निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक परिसंपत्तिया (%)	0.26%	0.44%
(ii)	अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति (सकल)		
	(क) अथशेष	823.28	1,008.18
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	424.42	354.03
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	345.28	538.93
	(घ) इति शेष	902.42	823.28
(iii)	निवल अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति*		
	(क) अथशेष	302.25	481.41
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	28.62	(2.75)
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	80.24	176.41
	(घ) इति शेष	250.63	302.25
(iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) अथशेष	521.03	526.77
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	408.70	356.78
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	277.95	362.52
	(घ) इति शेष	651.78	521.03
	*यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी		
(ख)	अनर्जक निवेश		
(i)	निवल निवेश का निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	0.00%
(ii)	अनर्जक आस्तियों (सकल) की प्रगति		
	(क) अथशेष	419.60	621.14
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	9.81	1.27
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	19.38	202.81
	(घ) इतिशेष	410.03	419.60
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
	(क) अथशेष	0.00	101.26
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	0.00	(62.51)
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	0.00	38.75
	(घ) इतिशेष	0.00	0.00
(iv)	अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
	(क) अथशेष	419.60	519.88
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	9.81	63.78
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	19.38	164.06
	(घ) इतिशेष	410.03	419.60

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(ग)	अनर्जक आस्तियां (क + ख)		
(I)	निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.24%	0.40%
(ii)	अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
	(क) अथशेष	1,242.88	1,629.32
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	434.23	355.30
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	364.66	741.74
	(घ) इतिशेष	1,312.45	1,242.88
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
	(क) अथशेष	302.25	582.67
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	28.62	(65.26)
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	80.24	215.16
	(घ) इतिशेष	250.63	302.25
(iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) अथशेष	940.63	1,046.65
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	418.51	420.56
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	297.33	526.58
	(घ) इतिशेष	1,061.81	940.63

3 (घ) पुनर्संरचित खाते
पुनर्संरचित खाते का प्रकटन

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत (2)					अन्य (3)					कुल (1+2+3)				
	आस्ति वर्गीकरण → / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	6	-	6	-	-	-	-	-	29	17	39	-	85	29	17	45	-	91
		बकाया राशि	-	-	188.68	-	188.68	-	-	-	-	-	204.67	63.54	97.03	-	365.24	204.67	63.54	285.71	-	553.92
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97	0.27	1.39	-	2.63	0.97	0.27	1.39	-	2.63
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2	-	13	4	7	2	-	13
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.48	15.01	3.84	-	43.33	24.48	15.01	3.84	-	43.33
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.04	-	0.13	-	0.09	0.04	-	0.13
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-4	-2	-	-	6	-4	-2	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.63	(7.81)	(19.82)	-	-	27.63	(7.81)	(19.82)	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	(0.10)	-	-	-	0.10	(0.10)	-	-	-
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/इसलिए उन्हें अगले विव के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	-				-	-10				-10	-10				-10
		बकाया राशि	-				-	-				-	(32.79)				(32.79)	(32.79)				(32.79)
		उस पर किए गया प्रावधान	-				-	-				-	(0.43)				(0.43)	(0.43)				(0.43)
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		0	-		-	-	-	-	-		-4	-6	10		-	-4	-6	10	-	-
		बकाया राशि		-	-		-	-	-	-	-	-	(60.48)	8.15	52.33		-	(60.48)	8.15	52.33	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान		-	-		-	-	-	-	-	-	(0.20)	0.11	0.09		-	(0.20)	0.11	0.09	-	-
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या			-5		-5	-	-	-	-	-	-10	-2	-18		-30	-10	-2	-23	-	-35
		बकाया राशि			(151.49)		(151.49)	-	-	-	-	-	(88.82)	(21.11)	(35.06)		(144.99)	(88.82)	(21.11)	(186.55)	-	(296.48)
		उस पर किए गया प्रावधान			-		-	-	-	-	-	-	(0.53)	(0.14)	(1.04)		(1.71)	(0.53)	(0.14)	(1.04)	-	(1.71)
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	15	12	31	-	58	15	12	32	-	59
		बकाया राशि	-	-	37.19	-	37.19	-	-	-	-	-	74.69	57.78	98.32	-	230.79	74.69	57.78	135.51	-	267.98
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.08)	0.23	0.48	-	0.63	(0.08)	0.23	0.48	-	0.63

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)

नोट : क्र.सं. 6 में आंकड़े ₹ 74.17 करोड़ (37 उधारकर्ता ₹ 0.55 के प्रावधान) शामिल हैं जो मौजूदा पुनर्गठित खातों से कमी/वसूली है।

(च) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
	01 अप्रैल 2017 को सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ	823.28	1,008.18
	वर्ष के दौरान (नए अनर्जक परिसंपत्तियाँ) परिवर्धन	424.42	354.03
	उप योग (क)	1,247.70	1,362.21
	घटाएँ :–		
	(i) उन्नयन	17.15	40.13
	(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	133.45	181.41
	(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता	187.75	294.35
	(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए	6.93	23.04
	उप जोड़ (ख)	345.28	538.93
	यथा 31 मार्च 2018 को सकल अनर्जक आस्तियां (क–ख)	902.42	823.28

(छ) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
यथा 1 अप्रैल 2017 तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में अथशेष	1,573.68	1,377.70
जोड़िए : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	187.75	294.35
उप योग (क)	1,761.43	1,672.05
घटाएं : वास्तविक बट्टे खाते	1.81	51.85
घटाएं : पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातो से वर्ष के दौरान की गयी वसूली	301.10	46.52
उप योग (ख)	302.91	98.37
31 मार्च, 2018 को इति शेष (क–ख)	1,458.52	1,573.68

(ज) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(झ) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(1)	विनिवेश		
	(i) सकल निवेश	9,661.54	8,225.90
	(क) भारत	9,661.54	8,225.90
	(ख) भारत के बाहर	–	-
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	459.42	467.74
	(क) भारत	459.42	467.74
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(iii) निवल निवेश	9,202.13	7,758.16
	(क) भारत	9,202.13	7,758.16
	(ख) भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
	(i) अथशेष	48.14	50.16
	(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4.21	-
	(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई	-	-
	(iv) घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित/बट्टे खाते में डाले गए	2.97	-
	(v) घटाएं : निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	-	2.02
	(vi) इति शेष	49.38	48.14

* शून्य का निवल प्रावधान विव 2017–18 के दौरान और ₹ 2.02 करोड़ का निवल प्रावधान विव 2016–17 के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिती में अंतरण

(ट) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

[₹ करोड़ में]

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	(8.33) #	(24.50) #
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (अनर्जक आस्तियाँ के लिए प्रावधान)	0.00 #	103.80 #
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति/देयता शामिल)	533.23	567.29
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	53.00 $	0.00

चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन. $ मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(ठ) कवरेज अनुपात के लिए प्रावधान

	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
कवरेज अनुपात के लिए प्रावधान*	89%	87%

* कवरेज अनुपात के लिए प्रावधान के परिकलन के समय चल प्रावधान पर विचार नहीं किया गया

(ड) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

[₹ करोड़ में]

अवधि	लचीले रूप से संरचना के लिए किए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले संरचना के लिए ली गई राशि		लचीले संरचना के लिए ली गई ऋणों की भारित औसत अवधि एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीले संरचना के लिए आवेदन करने से पूर्व	लचीले संरचना के लिए आवेदन करने के पश्चात
पिछला वित्त वर्ष 2016–17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वित्त वर्ष 2017–18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ढ) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावधि के अंतर्गत हैं)

[₹ करोड़ में]

ऐसे खाते जहाँ एस डी आर इन्वोक किए गए हैं	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि जिनमे ऋण को ईक्विटी में रूपांतरित किया जाना शेष है		उन खातों के सन्दर्भ में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि जिनमे ऋण को ईक्विटी में रूपांतरित किया जा चुका है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
1	शून्य	3.98*	शून्य	शून्य	शून्य	3.98*

* ₹ 3.98 करोड़ बकाया के कुल बकाया ऋण मैं से, एसडीआर प्रस्ताव के अनुसार ₹1.19 करोड़ इक्विटी में परिवर्तित किया गया है और शेष बकाया ₹ 2.79 करोड़ ऋण के रूप में रखा गया है जिसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाद में, एसडी आर फाइल किया गया और अग्रणी बैंक एनसीएलटी में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

(त) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)

[₹ करोड़ में]

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर/अथवा प्रवर्त्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(थ) परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

[₹ करोड़ में]

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनः संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(द) यथा 31 मार्च 2018 दबावग्रस्त आस्तियों (एस 4ए) टिकाऊ संरचना योजना का प्रकटन [₹ करोड़ में]

खातों की संख्या जहाँ एसए 4ए लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.निवेश पोर्टफोलियो : संगठन एवं परिचालन

(क) रेपो संब्यवहार [₹ करोड़ में]

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2018 बकाया राशि
रेपो के तहत बेंची गयी प्रतिभूति				
i. सरकारी प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के जारीकर्ता की संरचना का प्रकटीकरण [₹ करोड़ में]

जारीकर्ता	राशि	राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	527.77	–	–	–	–
(ii) वित्तीय संस्थायें	1,683.26	76.24	–	61.73	86.18
(iii) बैंक	1,628.76	80.00	–	103.50	103.50
(iv) निजी कार्पोरेट्स	1,275.68	309.51	–	346.81	314.19
(v) अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	–	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	2,795.03	873.65	–	873.65	2,323.65
(vii) मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	–459.42	–	–	–	–
जोड़	9,202.13	3,090.45	–	3,136.74	4,578.57

(ग) एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण :

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता (एचटीएम) श्रेणी को धारित कॉर्पोरेशन बैंक के टियर I पूंजीगत बॉन्ड ₹ 5.00 करोड़ का निवेश बेचा। उक्त के अलावा एचटीएम श्रेणी में कोई निवेश रूपांतरित नहीं किया गया।

5. खरीदी गयी / बेंची गयी आस्तियों का विवरण

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(कं)	आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों बेंची गयी आस्तियों का विवरण		
(i)	विक्री का विवरण		
	(i) खातों की संख्या	105	1
	(ii) एस सी/आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.00	13.17
	(iii) सकल प्रतिफल	64.07	27.66
	(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0
	(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	9.61	14.49
(ii)	प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	
	(i) एआईएफआई द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	9.76	9.49
	(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि	0.00	0.00
	योग	9.76	9.49
(ख)	**खरीदी गयी/बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण**		
(i)	खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:		
	1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
	2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
(ii)	बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:		
	1. बेंचे गए खातों की संख्या	105	1
	2. सकल बकाया	114.07	23.04
	3. सकल प्राप्त प्रतिफल	64.07	27.66

6. परिचालित परिणाम

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(i)	औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत	6.95	7.68
(ii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.47	0.35
(iii)	(प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.26	2.24
(iv)	(कराधान प्रावधान के पूर्व) औसत आस्तियों पर प्रतिफल	2.21	2.14
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	1.26	0.96

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार एक्सपोज

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो।	559.66	537.72
(ii)	शेयरों/बांडों ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v)	स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम/गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वादा	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	873.65	746.72
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	1,433.31	1,284.44

(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था।

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता/सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधि राशि	गैर निधि राशि	पूंजी निधियों प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उसका प्रतिशतः

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2016-17	
		कुल आस्तियों का प्रतिशत	कुल निधियों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत	पूंजी निधियों का प्रतिशत
1	एकल बड़े उधारकर्ता	11.38	88.28	18.70	115.54
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	79.34	615.32	77.23	477.19
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशतः [₹ करोड़ में]

उद्योग का नाम	वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2016-17	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तिया का प्रतिशत
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	1,418.29	1.48	735.10	1.07
ऑटो एंसलरी	1,146.56	1.20	1,255.39	1.82
मेटल उत्पाद एन.ई.सी.	413.56	0.43	495.09	0.72
मशीनरी छोड़ कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	394.68	0.41	396.79	0.58
औषधीय निर्मितियाँ – एलोपेथिक	354.70	0.37	368.01	0.53

(iv) यथा 31 मार्च 2018 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹ 1662.88 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2018 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹ 163.61 करोड़ है.

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारकर्ताओं / ऋण व्यवस्था, ऋण एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां उधारियों का संकेन्द्रण [₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(i)	**उधारियों / ऋण व्यवस्था का संकेन्द्रण**		
	बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	57,825.00	44,425.40
	बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	66.48%	74.91%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेन्द्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	72,346.86	51,430.65
	कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	75.41%	75.31%
	बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	86,382.24	62,136.93
	कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	70.52%	66.65%

(iii) एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां का क्षेत्रवार संकेन्द्रण

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017-18			वित्त वर्ष 2016-17		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	79,239.93	894.66	1.13%	59,051.33	823.28	1.39%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	377.74	0.10	0.03%	861.13	1.10	0.13%
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	68,541.16	-	0.00%	47,058.22	-	0.00%
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	10,321.03	894.56	8.67%	11,131.98	822.18	7.39%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	1,587.16	7.76	0.49%	2,307.51	-	0.00%
III.	अन्य*	15,115.40	-	0.00%	7,451.83	-	0.00%
	योग (I+II+III)	95,942.49	902.42	0.94%	68,810.67	823.28	1.20%

* अल्प वित्त बैंक एवं गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

8. व्युत्पन्नियाँ

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
(क)	वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय		
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	यूएसडी 40,310,000	शून्य
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	यूएसडी 201,550	शून्य
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	यूएसडी (571,037)	शून्य
(ख)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ		
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत–वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत–वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत–वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत–वार) और ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं।	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नों में जोखिम का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है न जो एमटीएम न होकर केवल रूपांतरित हैं. बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा–निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती है. व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है. व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति/बोर्ड को भी दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन–देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) गुणात्मक प्रकटीकरण

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18		वित्त वर्ष 2016-17	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	8,508.91	-	9,108.09	-
(i)	बचाव के लिए	8,508.91	-	9,108.09	-
(ii)	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	240.04	-	-122.27	-
(i)	आस्ति (+)	240.04	-	-122.27	-
(ii)	देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	803.78	-	747.61	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100 * पी वी 01)	167.74		204.22	
(i)	हेजिंग व्युत्पन्नियों पर	167.74	-	204.22	-
(ii)	व्यापारिक व्युत्पन्नों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 * पी वी 01				
(i)	हेजिंग पर	186.30/167.74	-	258.27/204.22	-
(ii)	व्यापार पर	-	-	-	-

9. एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है :

[₹ करोड़ में]

यथा 31 मार्च 2017 को एलओसी के बकाए		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाई गयी एलओसी		यथा मार्च 31, 2018 बकाया एलओसी	
एलओसी की सं.	राशि	एलओसी की सं.	राशि	एलओसी की सं.	राशि	एलओसी की सं.	राशि
1	1.80	0	0.00	1	1.80	0	0.00

10. आस्ति देयता प्रबन्धन

[₹ करोड़ में]

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	271	346	192	5,974	3,992	28,591	1,009	0	40,375
अग्रिम	3,283	9	4,071	9,562	8,958	59,834	6,242	764	92,723
निवेश	2,026	1,000	185	1,300	550	195	364	4,202	9,822
उधारियां	300	400	8,134	22	17,159	6,228	2,741	502	35,486
विदेशी मुद्रा आस्तियां	11	95	722	120	1,023	3,154	2,903	3,370	11,398
विदेशी मुद्रा देयताएं	0	0	445	56	571	2,978	2,118	4,956	11,124

11. आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आराक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12. व्यवसाय अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर पूर्व प्रावधान)	14.05	13.70
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व)	2.21	2.14
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1.26	0.96

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण

पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया

14. ग्राहक शिकायतें

	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
i	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2
ii	वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	63	67
iii	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	63	67
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2

15. प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है

16. विशिष्ट लेखांकन – मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5 – अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय – वित्त 2017–18 के दौरान अन्य आय में ₹ 23,48,64,069 शामिल है जिसमें पिछले वर्ष (₹ 1,78,32,983) और अनुसूची XIV में वर्णित वित्त 2017–18 के (₹ 3,68,62,070) के अवधि पूर्व के परिचालनगत व्यय पिछले वर्ष (₹ 41,27,095), का व्यय शामिल है

(ख) लेखांकन मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है. बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी – ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं. ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है।

भाग क : कारोबारी खंड [₹ करोड़ में]

	कारोबारी खंड	संपूर्ण परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		संपूर्ण परिचालन (अप्रत्यक्ष ऋण)		राजकोष		योग	
	विवरण	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017
1	खंड राजस्व	1,212	1,243	4,897	4,577	491	526	6,600	6,346
	असाधारण मदें							-	-
	योग							6,600	6,346
2	खंड परिणाम	200	22	1,759	1,634	142	170	2,101	1,826
	असाधारण मदें							-	-
	योग							2,101	1,826
	अविनिधानीय खर्चे							139	139
	परिचालन लाभ							1,962	1,687
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							533	567
	निवल लाभ							1,429	1,120
3	अन्य सूचना								
	खंड आस्तियां	9,744	10,709	87,021	59,097	10,405	8,841	1,07,170	78,647
	अविनिधानीय आस्तियां							1,699	1,035
	कुल आस्तिया							1,08,869	79,682
	खण्ड देयताएं	6,969	7,499	78,207	51,806	7,422	5,476	92,598	64,781
	अविनिधानीय देयताएं							1,661	1,581
	योग							94,259	66,362
	पूंजी / आरक्षितियाँ	2,793	3,215	8,448	6,372	3,369	3,733	14,610	13,320
	योग							14,610	13,320
	कुल देयताएं							1,08,869	79,682

भाग ख : भौगोलिक खंड – शून्य

(ग) लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

[₹ करोड़ में]

मदें / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक के संबंधी	योग
उधारियां #		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम		-	-	-	-	-
जमा#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		121.89	-	0.27	-	122.16
वर्ष के दौरान अधिकतम		121.89	-	0.27	-	122.16
जमा स्थान#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम		-	-	-	-	-
अग्रिम#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम		-	-	-	-	-
निवेश#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		1,751.05	28.60	-	-	1,779.65
वर्ष के दौरान अधिकतम		1,751.05	28.60	-	-	1,779.65
गैर निधीकरण वचनबद्धताएं#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम		-	-	-	-	-
ली गयी पट्टा व्यवस्था#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम		-	-	-	-	-
उपलब्ध काराई गयी पट्टा व्यवस्था#		-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम		-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद		-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों बिक्री		-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज		6.32	-	-	-	6.32
प्राप्त ब्याज		-	2.16	-	-	2.16
सेवा देना*		12.54	2.00	-	-	14.54
सेवाओं की प्राप्ति*		-	-	-	-	-
करारों का प्रबंध*		-	-	0.77**	-	0.77

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम प्रकट किया जाए।
* करार गत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं
** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17. पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है. बीमांकिक लाभ हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिए जाता है, उनका परिशोधन नहीं होता है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पर

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास	मनोज मित्तल	अजय कुमार कपूर	मोहम्मद मुस्तफा
मुख्य महाप्रबंधक (निगमित लेखा उद्–भाग)	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा	जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक	निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

[राशि ₹ में]

31 मार्च, 2017	विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018
	1. लाभ–हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		
16,87,46,83,051	लाभ–हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		19,62,44,74,792
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
20,05,08,564	मूल्यह्रास	11,33,97,507	
61,30,31,066	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान	(19,31,47,663)	
1,78,24,55,144	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	1,37,18,92,139	
(1,44,29,13,742)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(1,16,51,82,129)	
(35,54,143)	स्थिर आस्थिओं की बिक्री से लाभ	(22,69,860)	
(18,02,93,561)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(24,50,87,253)	(12,03,97,259)
17,84,39,16,378	परिचालनों से उपार्जित नकदी (परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		19,50,40,77,533
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन :		
(3,45,61,29,798)	चालू आस्तियाँ	(6,46,88,49,539)	
(5,03,77,84,236)	चालू देयताएँ	1,37,73,08,438	
4,04,85,71,508	विनिमय बिल	1,81,37,84,030	
(30,55,75,66,206)	ऋण एवं अग्रिम	(2,73,12,53,68,132)	
10,86,22,06,929	बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	31,66,20,54,018	
2,86,79,89,717	प्राप्त जमा	2,45,12,68,96,577	
(21,27,27,12,087)			38,58,25,392
(3,42,87,95,709)			19,88,99,02,924
(6,73,92,53,652)	कर अदायगी	(4,89,37,07,102)	(4,89,37,07,102)
(10,16,80,49,361)	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		14,99,61,95,822
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(15,01,82,785)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय	(46,27,13,666)	
17,64,78,04,520	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन	(17,21,88,77,127)	
18,02,93,561	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	24,50,87,253	
17,67,79,15,295	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(17,43,65,03,540)
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
10,00,00,00,000	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय		
(1,12,72,63,816)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,09,55,95,401)	
8,87,27,36,184	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,09,55,95,401)
16,38,26,02,118	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)**		**(3,53,59,03,119)**
11,96,79,04,451	**5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**28,35,05,06,570**
28,35,05,06,570	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**24,81,46,03,451**

[राशि ₹ में]

31 मार्च, 2017	विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी–तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,75,054	हाथ में नकदी		6,13,630
27,89,24,263	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		20,75,79,026
18,52,75,73,354	म्यूचुअल फंड		14,50,00,00,018
9,54,33,33,899	जमाराशियाँ		10,10,64,10,778

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस–3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पर

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

परिशिष्ट–II

सिडबी के लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी के साथ समेकित तुलन पत्र

प्रारूप – स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक)** तथा इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं (बैंक, उसके सहायक एवं सहयोगी घटक मिलकर 'समूह' बनते हैं) के **31 मार्च 2018** तक के संलग्न वित्तीय विवरणों और लाभ–हानि के समेकित विवरण तथा **31 मार्च 2018** को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखा–नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना ('समेकित वित्तीय विवरण' की लेखा–परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति समेकित वित्तीय कार्य–निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धान्तों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सच्ची और उचित स्थिति दर्शाने वाले घटकों के बारे में अलग–अलग वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बैंक का प्रबन्धन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखा जाना, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेक सम्मत निर्णय तथा अनुमान लगाना तथा ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, क्रियान्वित व प्रावधानित करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की दृष्टि से प्रभावपूर्ण तरीके से काम करते हों और जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक हों, जो सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हों तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश संभावित तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त हों, और जैसा कि पहले कहा गया, जिनका उपयोग बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया है।

लेखा–परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है जो हमारी लेखा–परीक्षा पर आधारित है।

हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा–परीक्षा–मानकों के अनुरूप संपन्न की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा–परीक्षा की योजना व निष्पादन इस प्रकार करें कि आश्वस्त हुआ जा सके कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखा–परीक्षा के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखा–परीक्षा विषयक प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का समावेश रहता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं।इसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखा–धड़ी से अथवा त्रुटिवश तथ्यात्मक मिथ्या–कथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा–परीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से प्रासंगिक समूह के आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, ताकि ऐसी लेखा–प्रक्रियाएं तैयार की जाएं जो उक्त परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। किन्तु इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर कोई राय व्यक्त करना नहीं है। लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और समूह के प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा–परीक्षकों ने नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित अपनी रिपोर्ट के अनुसार लेखा–परीक्षा के जो प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में लेखा–परीक्षा संबंधी हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मंतव्य

हमारे मत में और हमारी अधिकतम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि नीचे दिए गए 'अन्य मामले' शीर्षक परिच्छेद में उल्लिखित है, सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के विभिन्न वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के संबंध में अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट के मद्देनज़र, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैः

i) समूह के काम–काज की यथा 31मार्च 2018 के समेकित तुलन पत्र के मामले में

ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के लाभ के लिए समेकित लाभ–हानि खाता विवरण के मामले में

iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में

बलाधीन विषय

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं–

1) 7 सहयोगी संस्थाओं के गैर–समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ख और 4घ, जिसमें प्रबन्धन के अनुसार निवेशों की राशि वसूली योग्य नहीं है और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

2) 7 सहयोगी संस्थाओं के गैर–समेकन के संबंध में समेकित लेखों के अनुबंध I की टिप्पणी संख्या 4ग और 4घ, जो प्रबन्धन के अनुसार महत्त्वपूर्ण घटक नहीं हैं और इसलिए समेकन के लिए उन पर विचार नहीं किया गया है।

इस मामले के सम्बन्ध में हमारे मत का कोई प्रयोजन नहीं है।

अन्य मामले

हमने 3 सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण की लेखा–परीक्षा नहीं की। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के इनके वित्तीय विवरण में ₹ 1,71,99,59,86,882/– की कुल आस्तियाँ, ₹ 8,20,61,60,076/– का कुल राजस्व और ₹ 23,43,47,24,593/– का निवल नकदी प्रवाह द्रष्टव्य है, जो समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। हमने 1 सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरण की भी लेखा–परीक्षा नहीं की, जिसका 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में समूह में निवल लाभ का हिस्सा ₹ 19,23,661/– का था, जो मार्च 2017 को समाप्त उसके लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित था, और जिसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है। ये वित्तीय विवरण एवं अन्य वित्तीय सूचनाएं अन्य लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षित हैं, जिनकी रिपोर्ट प्रबन्धन ने हमें प्रदान की है, और जहाँ तक इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया दूसरे लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹ 27,84,172/– का निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल किया गया है, जो 4 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है, जिनके वित्तीय विवरण की हमने लेखा–परीक्षा नहीं की है। उक्त वित्तीय विवरण गैर–लेखा–परीक्षित हैं और हमें प्रबन्धन द्वारा प्रदान किए गए हैं और जहाँ तक उन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के संबंध में समाहित राशियों और प्रकटनों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया ऐसे गैर–लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है। यदि उपर्युक्त सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं की लेखा–परीक्षा की गई होती तो उसके परिणामस्वरूप यथा 31 मार्च 2018 समूह के लाभ के हिस्से पर क्या प्रभाव पडा होता, हम इसपर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में और प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए अर्थगर्भित नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, दूसरे लेखा–परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी रिपोर्टों और प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता की दृष्टि से इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, "सहायक संस्थाओं में निवेशके लिए समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" की अपेक्षानुरूप तथा बैंक, उसकी सहायक और सहयोगी संस्थाओं के पृथक–पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए हैं।

2. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की लेखा–परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

3. हमारी राय में, जहाँ तक उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अपेक्षित खाता–बहियों की जाँच से और अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है, उक्त खाता–बही तैयार करने संबंधी कानून के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त खाता–बही रखी गई हैं।

4. इस रिपोर्ट के संबंधित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ–हानि खाता विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गई खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

5. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्यता सं. 010279

स्थान : कैंप दिल्ली
दिनांक : 12 मई 2018

31 मार्च, 2018 का समेकित तुलन–पत्र

[राशि ₹ में]

पूँजी एवं देयताएँ	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
पूँजी	I	5,31,92,20,309	5,31,92,20,309
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	1,47,35,01,02,299	1,33,00,14,67,502
जमा	III	5,53,74,61,14,199	2,39,86,92,17,622
उधार	IV	4,64,87,21,70,971	4,33,82,44,06,602
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	71,22,71,37,897	68,67,61,06,996
आस्थगित कर देयता		79,62,76,937	21,60,46,642
योग		**12,43,31,10,22,612**	**8,80,90,64,65,673**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	67,39,00,91,227	31,51,65,20,257
निवेश	VII	87,40,36,31,601	79,39,51,07,745
ऋण एवं अग्रिम	VIII	10,53,46,75,11,351	7,42,41,79,39,816
स्थिर आस्तियां	IX	2,41,09,52,297	2,05,93,43,964
अन्य आस्तियां	X	32,63,88,36,136	25,51,75,53,891
योग		**12,43,31,10,22,612**	**8,80,90,64,65,673**
आकस्मिक देयताएं	XI	89,79,97,51,555	1,00,11,96,46,746
समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची XV) तथा लेखा–टिप्पणियाँ (अनुबंध I) उक्त अनुसूचियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं।			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ–हानि खाता

[राशि ₹ में]

आय	अनुसूचियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
ब्याज एवं बट्टा	XII	68,41,85,19,311	65,08,49,00,033
अन्य आय	XIII	5,43,93,33,090	3,79,81,19,063
योग		**73,85,78,52,401**	**68,88,30,19,096**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		45,91,11,15,653	43,86,47,21,888
परिचालन व्यय	XIV	5,21,72,11,197	5,47,24,19,960
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		65,65,91,422	91,58,70,357
योग		**51,78,49,18,272**	**50,25,30,12,205**
कर–पूर्व लाभ		**22,07,29,34,129**	**18,63,00,06,891**
आयकर के लिए प्रावधान		5,72,72,84,096	6,55,15,17,517
आस्थगित कर–समायोजन [(आस्ति)/देयता]		58,02,30,296	(20,13,83,841)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा		47,07,833	93,41,843
कर–पश्चात लाभ		15,77,01,27,570	12,28,92,15,058
अग्रानीत लाभ		92,33,44,965	72,65,74,101
कुल लाभ/(हानि)		**16,69,34,72,535**	**13,01,57,89,159**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		13,25,60,00,000	10,00,60,00,000
आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		70,00,00,000	70,00,00,000
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		31,64,38,121	21,56,73,919
अन्य			
क) निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	2,02,40,173
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		2,00,00,000	2,00,00,000
विकास निधि		2,00,00,000	
शेयरों पर लाभांश		1,14,36,32,367	93,93,08,909
लाभांश पर कर		26,77,56,350	19,12,21,193
अग्रानीत लाभ–हानि खाते में अधिशेष		96,96,45,697	92,33,44,965
योग		**16,69,34,72,535**	**13,01,57,89,159**
प्रति शेयर मूल/विलयित अर्जन		29.65	23.55

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा–टिप्पणियाँ (अनुसूची XV) और लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुलग्नक I)
उक्त अनुसूचियां लाभ–हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	पूँजी एवं देयताएँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची I	**पूंजी**		
	(क) प्राधिकृत पूंजी		
	– ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/– प्रति शेयर दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
	– ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/– प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
	(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
	– ईक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10/– प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,309	5,31,92,20,309
	– अधिमान शेयर पूंजी	-	-
	योग	**5,31,92,20,309**	**5,31,92,20,309**
अनुसूची II	**आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां**		
	क) आरक्षितियां		
	i) सामान्य आरक्षितियां		
	– अथ शेष	97,26,61,41,469	86,70,72,65,377
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,25,69,80,834	10,55,88,76,092
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	– इति शेष	1,10,52,31,22,303	97,26,61,41,469
	ii) शेयर प्रीमियम		
	– अथ शेष	16,68,07,79,690	7,13,01,77,500
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	9,55,06,02,190
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	– इति शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
	iii) विशेष आरक्षितियां		
	क) निवेश आरक्षिति		
	– अथ शेष	-	55,19,63,645
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	55,19,63,645
	– इति शेष	-	-
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
	– अथ शेष	14,27,00,00,000	13,57,00,00,000
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,00,00,000	70,00,00,000
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	– इति शेष	14,97,00,00,000	14,27,00,00,000
	ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षिति		
	– अथ शेष	34,75,43,259	13,18,69,340

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	पूँजी एवं देयताएँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	31,64,38,121	21,56,73,919
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	– इति शेष	66,39,81,380	34,75,43,259
	घ) अन्य आरक्षितियाँ		
	I) निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षिति		
	– अथ शेष	70,37,86,025	68,35,45,852
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	2,02,40,173
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	– इति शेष	70,37,86,025	70,37,86,025
	ख) लाभ–हानि खाते में अधिशेष	96,96,45,697	92,33,44,965
	ग) निधियाँ		
	क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
	– अथ शेष	2,56,29,86,071	2,55,40,61,491
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	65,68,575	89,24,580
	– वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	– इति शेष	2,56,95,54,646	2,56,29,86,071
	ख) स्टाफ कल्याण निधि		
	– अथ शेष	24,68,86,023	24,52,11,745
	– वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,00,00,000	2,00,00,000
	– वर्ष के दौरान उपयोग	1,76,53,465	1,83,25,722
	– इति शेष	24,92,32,558	24,68,86,023
	ग) अन्य	2,00,00,000	-
	योग	**1,47,35,01,02,299**	**1,33,00,14,67,502**
अनुसूची III	**जमा**		
	क) सावधि जमा	53,74,61,14,199	20,48,37,42,622
	ख) बैंको से		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	2,80,00,00,00,000	90,00,00,00,000
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	15,00,00,00,000	15,00,00,00,000
	ग) अन्य–विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
	घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
	ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014–15 के अंतर्गत	50,00,00,00,000	28,13,54,75,000
	च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अंतराल के अंतर्गत	1,50,00,00,00,000	81,25,00,00,000
	उप–योग (ख)	**5,00,00,00,00,000**	**2,19,38,54,75,000**
	योग	**5,53,74,61,14,199**	**2,39,86,92,17,622**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	पूँजी एवं देयताएँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची IV	**भारत में उधारियां**		
	I) भारत में उधारियां		
	1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
	2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	22,16,75,23,471	22,50,10,65,132
	3. बॉण्ड एवं डिबेंचर	1,65,49,00,00,000	93,01,00,00,000
	4. अन्य स्रोतों से		
	– वाणिज्यिक पत्र	57,00,00,00,000	1,75,80,00,00,000
	– जमा प्रमाण पत्र	1,00,81,10,58,900	10,14,53,48,550
	– बैंकों से सावधि ऋण	5,14,97,50,157	6,43,37,83,119
	– सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
	– अन्य	2,99,81,04,466	13,71,89,34,746
	उप–योग (I)	**3,53,61,64,36,994**	**3,21,60,91,31,547**
	II) भारत से बाहर उधारियां		
	(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	15,46,66,00,852	13,82,11,29,853
	(ख) जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	41,56,06,40,163	43,35,71,46,562
	(ग) आईएफएडी, रोम	1,16,52,80,010	1,12,73,11,009
	(च) विश्व बैंक	49,29,67,67,641	49,82,91,45,632
	(छ) अन्य	3,76,64,45,311	4,08,05,41,999
	उपयोग (II)	**1,11,25,57,33,977**	**1,12,21,52,75,055**
	योग (I और II)	**4,64,87,21,70,971**	**4,33,82,44,06,602**
अनुसूची V	**अन्य देयताएं व प्रावधान**		
	उपचित ब्याज	22,37,10,53,077	15,79,60,82,361
	सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	2,17,11,80,143	1,94,67,77,333
	सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	45,98,78,213	3,10,02,47,991
	चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	21,12,89,197	15,64,21,851
	चिकित्सा सहायता निधि के लिए प्रावधान	19,30,76,860	24,20,93,347
	कर्मचारियों के हित के लिए प्रावधान	2,72,65,14,780	2,13,50,44,197
	अन्य (प्रावधान सहित)	35,92,99,17,876	39,22,92,18,456
	विदेशी मुद्रा दर उतार–चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
	मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	4,25,04,15,977	3,40,23,28,592
	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,37,64,49,008	1,13,05,30,102
	योग	**71,22,71,37,897**	**68,67,61,06,996**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची VI	**नकदी और बैंक अतिशेष**		
	1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,24,411	6,83,614
	2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	20,97,24,902	27,87,20,038
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	59,57,25,45,478	24,04,53,14,166
	(ख) भारत से बाहर		
	i) चालू खातों में	6,58,942	4,51,902
	ii) अन्य निक्षेप खातों में	7,60,65,37,494	7,19,13,50,537
	योग	**67,39,00,91,227**	**31,51,65,20,257**
अनुसूची VII	**निवेश [प्रावधानों को घटाकर]**		
	क) राजकोषीय परिचालन		
	1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	4,55,71,12,568	3,96,80,00,401
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	23,95,12,137	23,95,12,137
	3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	12,66,68,18,755	10,97,74,52,685
	4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	2,48,80,48,275	2,48,80,48,275
	5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
	6. अन्य	42,66,30,80,482	32,02,75,73,351
	उप–योग (क)	**62,61,45,72,217**	**49,70,05,86,849**
	ख) व्यवसाय परिचालन		
	1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,75,12,24,775	1,14,92,61,420
	2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	5,65,33,000	5,65,33,000
	3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबेंचर्स	3,82,54,41,280	4,05,77,31,494
	4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
	5. अन्य	19,15,58,60,329	24,43,09,94,982
	उप–योग (ख)	**24,78,90,59,384**	**29,69,45,20,896**
	योग (क + ख)	**87,40,36,31,601**	**79,395,107,745**
अनुसूची VIII	**ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]**		
	क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
	– बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	8,07,41,45,29,762	5,29,70,48,57,960
	– अल्प वित्त संस्थाएँ	21,69,19,52,501	33,93,43,58,549
	– गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,27,59,37,93,703	72,65,82,93,916
	– बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
	– अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
	उप–योग (क)	**9,56,70,02,75,966**	**6,36,29,75,10,425**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	आस्तियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	ख) प्रत्यक्ष ऋण		
	– ऋण एवं अग्रिम	87,74,77,86,153	95,40,64,92,741
	– प्राप्य वित्त योजना	9,01,94,49,232	10,70,86,54,657
	– भुनाए गए बिल	-	52,81,993
	उप–योग (ख)	**96,76,72,35,385**	**1,06,12,04,29,391**
	योग (क + ख)	**10,53,46,75,11,351**	**7,42,41,79,39,816**
अनुसूची IX	**स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]**		
	1. परिसर	2,38,98,20,372	2,03,57,06,345
	2. अन्य	2,11,31,925	2,36,37,619
	योग	**2,41,09,52,297**	**2,05,93,43,964**
अनुसूची X	**अन्य आस्तियां**		
	उपचित ब्याज	17,83,55,60,886	17,02,33,62,481
	अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	3,41,21,79,862	3,31,31,93,676
	अन्य	5,81,89,52,288	1,70,67,30,165
	व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	5,57,21,43,100	3,47,42,67,569
	योग	**32,63,88,36,136**	**25,51,75,53,891**
अनुसूची XI	**आकस्मिक देयताएं**		
	i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	3,53,80,94,592	3,78,57,03,656
	ii) गारंटियों / साख–पत्रों के फलस्वरूप	59,49,90,462	1,06,70,90,288
	iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	57,76,04,313	4,18,59,06,954
	iv) हामीदारी प्रतिबध्द्ताओं के फलस्वरूप	-	-
	v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबैंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	-	-
	vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	85,08,90,62,188	91,08,09,45,848
	योग	**89,79,97,51,555**	**1,00,11,96,46,746**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ–हानि खाते की अनुसूचियाँ

[राशि ₹ में]

	आय	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
अनुसूची XII	ब्याज और बट्टा		
	1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	62,84,01,08,672	59,79,42,76,215
	2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	5,57,84,10,639	5,29,06,23,818
	योग	**68,41,85,19,311**	**65,08,49,00,033**
अनुसूची XIII	अन्य आय		
	1. अपफ्रंट और कार्रवाई शुल्क	23,34,06,263	33,63,39,805
	2. कमीशन और दलाली	1,83,08,305	2,42,76,355
	3. निवेशों की बिक्री से लाभ	2,51,13,83,994	2,34,88,06,643
	4. सहायक संस्थाओं/सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	90,20,000	10,20,000
	5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
	6. अन्य	2,66,72,14,528	1,08,76,76,260
	योग	**5,43,93,33,090**	**3,79,81,19,063**
अनुसूची XIV	परिचालन व्यय		
	कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	3,80,13,70,805	4,15,82,86,656
	किराया, कर और बिजली	21,23,12,511	22,61,72,820
	मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	1,15,32,954	1,15,67,839
	विज्ञापन और प्रचार	3,48,51,209	2,79,65,165
	बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / परिशोधन	11,44,13,211	20,14,10,951
	निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	60,71,999	67,57,190
	लेखापरीक्षकों की फीस	43,68,052	70,86,071
	विधि प्रभार	1,94,38,172	1,74,88,521
	डाक, कूरियर, दूरभाष, आदि	29,57,364	32,16,068
	मरम्मत और रखरखाव	9,48,00,843	10,97,93,926
	बीमा	52,33,581	5,7,78,557
	सीजीटीएमएसई को अंशदान	-	4,44,41,750
	अन्य व्यय	90,98,60,496	65,24,54,446
	योग	**5,21,72,11,197**	**5,47,24,19,960**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन–पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV : महत्त्वपूर्ण समेकित लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (मूल) एवं उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं तथा उसके विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा–नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग :

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा–मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

समेकन प्रक्रिया :

सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

1) माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
2) सिडबी उद्यम पूंजी निधि लिमिटेड
3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

1) स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड (स्मेरा)
2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)
3) इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
4) दिल्ली वित्त निगम
5) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)

समूह (3 सहायक और पाँच सहयोगी संस्थाओं जिनके विवरण ऊपर दिए गए हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है.

ए) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल) एवं 3 सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित लेखे :

बी) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ/हानि और सभी सामग्री अंतर–समूह शेष/संव्यवहार को समाप्त करने के बाद और मूल के सन्दर्भ में सहायक कंपनियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय के प्रत्येक मद का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी) सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार सहयोगी संस्थाओं में निवेश को ईक्विटी विधि के अंतर्गत माना गया है।

डी) लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक और सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जहां भी आवश्यक और व्यावहारिक होते हैं, समायोजित किए जाते हैं।

2. राजस्व निर्धारण :

बैंक को जो भी संभव आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय :

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा–प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है :

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

x. निवेश से बिक्री में लाभ या हानि : किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ–हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

xi. सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

xii. एसवीसीएल – उद्यम पूंजी निधि/एएफआई द्वारा प्रबंधित निधियों पर यह तिमाही आधार पर प्रबंधन शुल्क उपचित करता है। सावधि जमा/कर मुक्त बांड पर ब्याज को समय अनुपात के आधार पर हिसाब में लिया गया है। आईआईबीआई द्वारा समनुदेशित निवेश की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5 प्रतिशत की आय को कंपनी द्वारा आय में लिया गया है।

ख) व्यय :

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3. निवेश :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित : परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग–अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित : अल्पावधि मूल्य/ब्याज–दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप–अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग–अलग स्क्रिपों के बही–मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ–हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार/उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों/उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्ध : उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग–अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया गया है। अलग–अलग स्क्रिपों के बही–मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है/जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख'

का पालन करते हुए की गई है।

(vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(ix) अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ–हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण–निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि–ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री–राशि से अलग रखा गया है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

(xiii) (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क–अप को लागू किया गया हैं।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा–बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)–11 के अनुसार किया गया है।

i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां ,पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन–पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा–दर में परिवर्तित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ–हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण–व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

5. व्युत्पन्नी

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर–मुद्रा ब्याज–दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6. ऋण एवं अग्रिम :

i. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ii. तुलन–पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

iii. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

iv. चल प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7. कराधान :

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय–कर की गणना आय–कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय–कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय–कर, वर्ष की कर–योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर–कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर–योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर–योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8. प्रतिभूतीकरण :

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग–युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति–समूहों को बैंकों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास–थ्रू–प्रमाणपत्रों के जरिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति–समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री :

(i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति–प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही–मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ–हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ–हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान (मूल संस्था) :

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ–हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे– क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन–पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)– कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभ/हानि लाभ–हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज किए जाते हैं ।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ–हानि खाते में भारित होता है।

(v) बीमांकिक लाभ/हानि तत्काल लाभ–हानि लेखे में दर्ज किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

(vi) स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ–हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख) सेवा–कालिक (अल्पाविधि) लाभ :

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर–बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

एसवीसीएल :

कर्मचारियों के लाभ :

परिभाषित अंशदान योजनाएं : भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ–हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाएं : कंपनी ग्रैच्युटी के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी ने अपनी निधि से जीवन बीमा निगम से समूह ग्रैच्युटी पालिसी ले रखी है।

निष्पादन वेतन : कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रोत्साहन है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित है।

छुट्टी नकदीकरण : छुट्टी नकदीकरण के रूप में कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक

द्वारा तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी एकत्रित छुट्टी में से 15 दिन के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास :

क) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ख) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।

ग) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)–

(i) फर्नीचर और फिक्स्चर : बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ– 100 प्रतिशत की दर से

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर – 100 प्रतिशत की दर से

(iii) भवन–मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर – 5 प्रतिशत की दर से

(iv) विद्युत संस्थापनाएं : बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ– मूल्यह्रासित मूल्य–पद्धति पर – 50 प्रतिशत की दर से

(v) मोटर कार – सीधी रेखा पद्धति – 50 प्रतिशत की दर से

घ) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

ङ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि–पर्यन्त किया जाता है।

11.1 स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास (सहायक)

i) **मुद्रा** – आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया हैं। वित्त पोषण लागत सहित अपने इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे लागत वाली सभी लागतों को भी पूंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे लाइन विधि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। रु. 5,000/– या उससे कम की लागत वाली संपत्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित कर दिया गया है।

ii) **एसवीसीएल** – अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया हैं। स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास दर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित तरीके से लिखित डाउन वैल्यू विधि पर प्रदान किया गया है। खरीदे गए मोबाइल/टेलीफोन उपकरणों/टैबलेट उपकरणों की लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व व्यय में ले लिया गया है। उन आस्तियों पर मूल्यह्रास जिनकी वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। मूल्यह्रास मासिक आधार पर प्रभारित किया गया है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ :

एएस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन–पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन–पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी :

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालनगत पट्टा :

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ–हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को आस्तियों की रख–रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

ए) क्षति–हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

बी) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन–निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख–रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति–हानि का निर्धारण किया जाता है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य :

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुबंध – I

1 एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में पालन किया गया है।

2 बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर मिश्रित किया गया है, जिसके लिए एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंतःसमूह शेष तथा अंतर–समूह संव्यवहारों को पूरी तरह घटाने के बाद एक जैसी विभिन्न मदों जैसे आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के बही मूल्यों को परस्पर जोड़ा गया है। सहयोगी संस्थाओं का लेखांकन एएस–23 "सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" में विहित ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है।

3 समेकित वित्तीय विवरण में समाहित अनुषंगी संस्थाओं के ब्यौरे : [राशि ₹ में]

क्र. सं.	सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात*	लाभ / हानि	
				यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	5,81,74,926	5,58,21,174
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	44,88,788	42,85,700
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	1,58,21,90,607	1,07,83,69,592
	योग			1,64,48,54,321	1,13,84,76,466

अनुषंगी संस्थाओं की वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षित हैं

*चूंकि अनुषंगी संस्थाओं के सभी अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अल्पसंख्य हित के बारे में कोई अलग प्रकटन दर्शित नहीं किया गया है

4.क (i) समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं : [राशि ₹ में]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता का (%)	
		मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	स्मेरा	34.29	34.29
2	आईएसटीएसएल	22.72	22.72
3	आईएसएआरसी	26.00 **	26.00 **
4	डीएफसी	23.71	23.76
5	रेक्सिल	30.00	30.00

** इसमें (सिडबी की 100% सहायक संस्था) एसवीसीएल की 11% अंशधारिता शामिल है।

4.क (ii) समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं : [राशि ₹ में]

क्र. सं.	विवरण	निवेश	निवेश	
			मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	एमएसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	4,97,50,000	5,10,00,000	5,10,00,000
2	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	99,96,800	1,00,00,000	1,00,00,000
3	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	2,60,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000
4	राज्य वित्त निगम	3,13,87,500	3,13,87,500	6,27,75,000
5	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए आन लाइन प्लेटफार्म ट्रेड्स		7,50,00,000	7,50,00,000
	योग		**42,73,87,500**	**45,87,75,000**

4.क (iii) समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं : [राशि ₹ में]

क्र. सं.	विवरण	लाभ / (हानि) का हिस्सा		आरक्षतियों में हिस्सा*	
		मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	एमएसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	1,32,22,177	14,63,401	1,36,07,565	1,17,87,717
2	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	27,04,101	11,07,528	42,19,190	30,94,396
3	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	34,94,723	98,89,481	7,44,28,865	6,46,08,880
4	राज्य वित्त निगम	19,23,661	66,41,010	11,35,43,183	10,73,97,090
5	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए आन लाइन प्लेटफार्म ट्रेड्स	(1,66,36,829)	(97,59,577)	(85,90,142)	-
	योग	**47,07,833**	**93,41,843**	**19,72,08,661**	**18,68,88,083**

* समेकित तुलन–पत्र की अनुसूची II क(I) में ₹ 98,31,69,76,210 (गत वर्ष ₹ 97,26,61,41,469) की आरक्षित निधि में समाहित।

ख. समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल नहीं हैं। किन्तु हानियों के शेयर के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

[राशि ₹ में]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में ह्रास	
		मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017			मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	जेकेएसएफसी	23.00	28.65	राज्य वित्त निगम	3,42,20,000	(3,42,20,000)	(10,46,20,000)
4	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
5	पीएफसी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
6	उप्राविनि	20.27	20.27	राज्य वित्त निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)	(21,67,59,000)
	योग				**74,36,61,100**	**(74,36,61,100)**	**(81,40,61,100)**

ग. हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में, बैंक के पास 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एसएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें ऐसा महत्त्वपूर्ण निवेश नहीं माना जाता है, जिसके समेकन की आवश्यकता हो.

[राशि ₹ में]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता का (%)		विवरण	निवेश	
		मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017		मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	एपिटको लिमिटेड	41.29	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	54,70,975	54,70,975
2	किटको लिमिटेड	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	24,95,296	24,95,296
3	बिहार औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
4	पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	43.44	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
5	ओड़ीशा औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.42	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
6	वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लि. (पूर्ववर्ती पश्चिम बंगाल परामर्श संगठन लि.)	21.67	21.67	तकनीकी परामर्श संगठन	4,86,783	4,86,783
	योग				84,53,057	84,53,057

घ. 4क और 4 ख में उल्लिखित राज्य वित्तीय निगमों से इतर सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण अंकेक्षित नहीं हैं। एमएसएफसी, पीएफसी और यूपीएसएफसी से इतर राज्य वित्तीय निगमों के आँकड़े 31 मार्च 2017 को समाप्त अंकेक्षित परिणामों पर आधारित हैं। एमएसएफसी और पीएफसी के संबंध में, आंकड़े 31 मार्च 2016 को समाप्त अंकेक्षित परिणामों के आँकड़ों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के मामले में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के अनन्तिम परिणाम उपलब्ध हैं।

5. सहयोगी संस्थाओं से लेनदेन के विवरण निम्नवत हैं :

[राशि ₹ में]

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	विवरण	संवितरण		चुकौतियाँ (ब्याज सहित)	
			मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
1	डीएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	-	5,06,54,683	5,45,96,792

6 सिडबी की मूल्यह्रास नीति के अंतर्गत आस्तियों पर पूर्व–निर्धारित दरों से एसएलएम/डब्ल्यूडीवी के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यह्रास की गणना करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹ 11,44,13,211 (गत वर्ष ₹ 20,14,10,951) के कुल मूल्यह्रास में ₹ 10,15,704 यानी राशि का 0.89 प्रतिशत (गत वर्ष ₹ 9,02,387 यानी राशि का 0.45 प्रतिशत) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यह्रास के अनुसार किया गया है।

7 पूर्णकालिक निदेशक को अदा किया गया सकल पारिश्रमिक सिडबी के लिए ₹ 74,00,120 है (गत वर्ष ₹ 66,71,115), एसवीसीएल के लिए ₹ 40,19,260 है (गत वर्ष ₹ 57,23,206) और मुद्रा लि. के लिए ₹ 97,71,989 है (गत वर्ष ₹67,46,805)

8 कर्मचारियों के हितलाभ

(I) सिडबी : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी हितलाभों के बारे में जारी लेखांकन मानकों (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों को बैंक ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है :

(क) परिभाषित अंशदान योजना : बैंक ने निम्नलिखित राशियों को लाभ और हानि खाते से अभिनिर्धारित किया है

[राशि ₹ में]

विवरण	मार्च 31, 2018	मार्च 31, 2017
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	5,83,87,971	4,36,88,123
नव पेंशन योजना में नियोजक का अंशदान	1,91,20,772	1,45,96,318

(ख) बैंक में सुपरिभाषित पेंशन और ग्रेच्युटी हितलाभ योजनाएं हैं जिनका व्यवस्थापन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है

[₹ करोड़ में]

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
1. धारणाएँ				
बट्टा दर	7.72%	7.21%	7.73%	7.29%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.72%	7.21%	7.73%	7.29%
वेतन में बढ़ोत्तरी	6.00%	7.00%	6.00%	7.00%
ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हितलाभ देनदारियों में बदलाव को दिखाती सारणी				
वर्ष के आरंभ में देयताएँ	408.10	344.27	75.49	73.09
ब्याज लागत	29.42	26.72	5.50	5.81
मौजूदा सेवा लागत	12.73	10.83	5.27	4.92
पिछली सेवा लागत (गैर–अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	31.43	0.00
भीतर अंतरित देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	0.00	0.00	(4.58)	(4.62)
देनदारियों के पर बीमांकित (लाभ) / हानि	1.78	26.28	(2.06)	(3.71)
वर्ष की समाप्ति पर देयताएँ	**452.03**	**408.10**	**111.05**	**75.49**
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य विषयक सारणियाँ				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	98.07	90.47	111.78	106.46
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7.07	7.02	8.15	8.47
अंशदान	300.00	0.00	0.00	1.19
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	0.00	0.00	(4.58)	(4.62)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	0.32	0.58	(0.10)	0.29
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	405.46	98.07	115.25	111.79
4. बीमांकित लाभ / हानि के अभिनिर्धारण की सारणी				
संबन्धित अवधि के लिए देयताओं पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	1.78	26.28	(2.07)	(3.71)
संबन्धित अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	(0.32)	(0.58)	0.10	(0.29)
आय व व्यय विवरणी मे अभिनिर्धारित बीमांकित (लाभ) / हानियाँ	1.46	25.70	(1.97)	(4.00)
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ				
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7.07	7.02	8.15	8.47
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	0.32	0.58	(0.10)	0.29
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**7.39**	**7.60**	**8.05**	**8.76**

[₹ करोड़ में]

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
6. तुलन–पत्र में अभिनिर्धारित राशि				
वर्ष की समाप्ति पर देयताएँ	(452.03)	(408.09)	(111.05)	(75.50)
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	405.46	98.07	115.25	111.79
अंतर	(46.56)	(310.02)	4.20	36.29
वर्ष की समाप्ति पर पिछली सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित संक्रामक देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन–पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि	(46.56)	(310.02)	4.20	36.29
7. आय विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय				
मौजूदा सेवा लागत	12.73	10.84	5.27	4.92
ब्याज लागत	22.35	19.69	(2.64)	(2.66)
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	0.00	0.00	(1.97)	(4.00)
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (गैर–अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	31.43	0.00
वर्ष के दौरान अनिर्धारित संक्रामक देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकित (लाभ) / हानि	1.46	25.70	0.00	0.00
लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय	**36.54**	**56.23**	**32.09**	**(1.74)**
8. तुलन–पत्र का मिलान				
आरंभिक निवल देयताएँ	310.02	253.80	(36.29)	(33.37)
यथोक्त व्यय	36.54	56.23	32.09	(1.74)
नियोजक का अंशदान	(300)	0.00	0.00	(1.18)
तुलन–पत्र में अभिनिर्धारित राशि	46.56	310.03	(4.20)	(36.29)
9. अन्य ब्यौरे				
बैंक की सूचना के अनुसार वेतन में बढ़ोत्तरी को विचार में लिया गया है जो कि पदोन्नति और कर्मचारी आपूर्ति को ध्यान में लेकर उद्योग–क्षेत्र में प्रचलित व्यवहार के अनुसार है				
अगले वर्ष (12 महीनों) हेतु अनुमानित अंशदान	**28.55**	**25.08**	**1.40**	**0.00**
10. आस्ति वर्ग				
भारत सरकार की आस्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमादाताओं द्वारा प्रबंधित निधियाँ (भारतीय जीवन बीमा निगम)	405.46	98.07	115.25	111.79
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**405.46**	**98.07**	**115.25**	**111.79**

11. अनुभव समायोजन

[₹ करोड़ में]

वित्त वर्ष	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	2018	2017	2016	2015	2014	2018	2017	2016	2015	2014
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	66.81	(5.53)	22.70	(0.90)	24.34	10.18	(7.91)	(6.20)	(0.56)	(3.72)
योजना आस्ति पर (लाभ)/हानि	0.32	0.58	(0.17)	(1.43)	0.32	(0.10)	0.29	(0.40)	0.21	0.62

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर अन्य योजनाबद्ध दीर्घकालिक हितलाभों के बारे में लाभ व हानि खाते को निम्नांकित राशियाँ प्रभारित की गई हैं

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	11.84	5.82
2	रुग्णता अवकाश	5.49	0.69
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.00	0.06
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	(3.51)	4.33

(ii) एसवीसीएल : वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 39,858/– की राशि का अंशदान अपने कर्मचारियों के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड एम्प्लोईज ग्रुप ग्रेच्युटी एशुरेन्स स्कीम (ट्रस्ट) में किया है।

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ	
	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
हितलाभ का स्वरूप	ग्रेच्यटी	ग्रेच्यटी
तुलन–पत्र में अभिनिर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ		
गैर–निधि–निक्षेपित परिभाषित हितलाभ संबंधी देनदारियों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
निधिदत्त या अंशतः निधिदत्त परिभाषित हितलाभ देनदारियों का मौजूदा मूल्य	₹49,60,831	₹47,67,159
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	₹36,40,759	₹36,43,439
पिछला सेवा व्यय जिसे तुलन–पत्र में अधिमानित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी राशि जिसे बतौर आस्ति अभिनिर्धारित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य जिन्हें आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।	शून्य	शून्य
तुलन–पत्र में अभिनिर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों।	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ		
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियां	शून्य	शून्य
बीमादाता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	₹36,40,759	₹36,43,439
निवल देयताओं में बदलाव		
आरंभिक निवल देयताएँ	₹11,23,720	₹3,17,913
व्यय	₹2,36,210	₹9,05,494
अंशदान	(₹39,858)	(₹99,687)
अंतिम निवल देयताएँ	₹13,20,072	₹11,23,720

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ	
	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2017
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	₹3,63,229	₹4,28,952
ब्याज लागत	₹3,64,211	₹3,00,097
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(₹2,78,359)	(₹2,73,456)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमांकीय लाभ /(हानियाँ)	₹17,39,236	(₹4,49,901)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित कुल व्यय	₹2,36,210	₹9,05,494
पिछली सेवा की लागत	₹15,26,365	शून्य
कटौती / निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59(बी) की सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के तौर पर अभिनिर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
बीमांकिक धारणाएँ		
बट्टा दर	8.09%	7.64%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.09%	7.64%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत की प्रवृतियां	लागू नहीं	लागू नहीं
मर्त्यशीलता		
अपंगता	शून्य	शून्य
ह्रास	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) मुद्रा

(क) चूंकि अधिकांश कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, और मुद्रा में प्रतिनियुक्त इन कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया का ध्यान इस कंपनी में स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले नियोजको द्वारा ही रखा जाता है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में ₹ 42,99,540/– की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा जब भी इन खर्चों की मांग की जाती है तब इसे सिडबी/नाबार्ड को अदा किया जा सकेगा।

(ख) अतः कंपनियों के लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत जारी 'पुनरीक्षित एएस 15 – कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है

9. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)*:

	मार्च 31, 2018 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	15,77,01,27,573	12,28,92,15,058
प्रति ₹ 10 के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	52,18,38,283
प्रति शेयर अर्जन	29.65	23.55

*चूंकि कोई विलेय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।

10. लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर व्यय / बचत की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते में आस्थगित कर के रूप में ₹ 58,02,30,296 / – का निर्धारण किया है (गत वर्ष आस्थगित कर ₹ 20,13,83,841 / – था)। यथा 31 मार्च, 2018 आस्थगित कर आस्ति / (देयता) की पृथक–पृथक राशियाँ निम्नवत है :

क्र. सं.	समय–अंतराल	आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	
		वित्त वर्ष 2017–18 (₹)	वित्त वर्ष 2017–18 (₹)
1	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(1,20,11,396)	95,74,653
2	आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के अंतर्गत विशेष प्रतिप्रविष्टि	(4,44,78,09,616)	(4,21,81,48,976)
3	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2,53,21,09,985	2,11,36,06,638
4	भारत सरकार के बांडों पर प्रीमियम का परिशोधन	(5,86,23,034)	(7,32,66,842)
5	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	1,66,89,571	3,73,31,705
6	अन्य	1,17,33,67,554	1,91,48,56,181
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	(79,62,76,936)	(21,60,46,641)

11. आकस्मिक देयताएँ : पूंजीगत खाते में निष्पादन हेतु लंबित संविदाओं से संबन्धित प्राकलित राशि ₹ 1,02,46,63,903 (गत वर्ष ₹ 3,21,29,675) (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर) का प्रावधानीकरण नहीं किया गया है।

12. मूल एवं सहायक संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना का समेकित वित्तीय विवरणों की सत्य एवं उचित तस्वीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और जो मदें महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, उनसे संबंधित सूचना भी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के मद्देनजर, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार अतिरिक्त समेकित प्रकटन

1. पूँजी पर्याप्तता

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी	15,716.32	14,500.49
(iv)	टियर 2 पूँजी	425.04	340.23
v)	कुल पूँजी (टियर 1 + टियर 2)	16,141.36	14,840.72
vi)	कुल जोखिम–भारित आस्तियाँ (जोभाआ)	47,454.90	48,234.34
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (कुल जोभाआ के अनुपात के रूप में सामान्य ईक्विटी)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	33.12%	30.06%
ix)	पूँजी व जोखिम भारिता आस्ति अनुपात (जोभाआअ) (कुल पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	34.01%	30.77%
x)	भारत सरकार की अंशधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	-	44.94
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) स्थायी गैर–संचयी अधिमानी शेयर	-	-
	ख) स्थायी ऋण लिखत (स्ऋलि)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) ऋण पूँजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) मोचन–योग्य गैर–संचयी अधिमानी शेयर (मोयोगैसंअशे)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर	-	-

* बेसल–III के लागू न होने के कारण वर्तमान में आँकड़ों की गणना नहीं की जा रही है।

2. निर्बंध आरक्षितियाँ एवं प्रावधान

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(क)	मानक आस्तियों पर प्रावधान		
	मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (संचयी)	425.04	340.23
(ख)	अस्थायी प्रावधान		
	अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	2,057.81	2,333.91
	लेखा–वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	-	-
	लेखा वर्ष में किए गए आहरण की राशि	315.60**	276.10*
	अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	1,742.21	2,057.81

*भारतीय रिजर्व बैंक के 21 जुलाई 2015 के पत्र डीबीआर.एफाईडी सं. 1164/03.01.11/2015 के अनुसार उक्त राशि का उपयोग 3 उधार–खातों के संबंध में एनपीए/एनपीआई प्रावधान करने के लिए किया गया।

** राशि का उपयोग अस्थायी प्रावधान पर बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित के अनुसार अनर्जक आस्ति प्रावधान करने के लिए किया गया था।

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(क)	**अनर्जक ऋण**		
(i)	निवल ऋण की तुलना में निवल एनपीए (%)	0.24%	0.41%
(ii)	एनपीए (सकल) की प्रगति		
	(क) अथ शेष	823.28	1008.18
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	424.42	354.03
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	345.28	538.93
	(घ) अंतिम शेष	902.42	823.28
(iii)	निवल एनपीए में परिवर्तन *		
	(क) अथ शेष	302.25	481.41
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	28.62	(2.75)
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	80.24	176.41
	(घ) अंतिम शेष	250.63	302.25
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को घटाकर)		
	(क) अथ शेष	521.03	526.77
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	408.70	356.78
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	277.95	362.52
	(घ) अंतिम शेष	651.78	521.03
(ख)	**अनर्जक निवेश**		
(i)	निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीआई (%)	0.00%	0.00%
(ii)	एनपीआई की प्रगति (सकल)		
	(क) अथ शेष	419.60	621.14
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	9.81	1.27
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	19.38	202.81
	(घ) अंतिम शेष	410.03	419.60
(iii)	निवल एनपीआई की प्रगति		
	(क) अथ शेष	0.00	101.26
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	(62.51)
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	0.00	38.75
	(घ) अंतिम शेष	0.00	0.00
(iv)	एनपीआई के प्रावधान की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	419.60	519.88
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	9.81	63.78
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	19.38	164.06
	(घ) अंतिम शेष	410.03	419.60

*यदि अस्थायी प्रावधान की राशि को एनपीए के प्रति समायोजित किया गया हो तो चालू वर्ष और पिछले वर्ष का निवल एनपीए शून्य होगा।

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(ग)	**अनर्जक आस्तियाँ (क+ख)**		
(i)	निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (ऋण+निवेश) (%)	0.22%	0.40%
(ii)	अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश)		
	(क) अथ शेष	1,242.88	1,629.32
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	434.23	355.30
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	364.67	741.74
	(घ) अंतिम शेष	1,312.44	1,242.88
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रगति		
	(क) अथ शेष	302.25	582.67
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	28.62	(65.26)
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	80.24	215.16
	(घ) अंतिम शेष	250.63	302.25
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	940.63	1,046.65
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	418.51	420.56
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	297.33	526.58
	(घ) अंतिम शेष	1,061.81	940.63

3 (घ) पुनर्संरचित खाते
पुनर्संरचित खाते का प्रकटन

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	पुनर्संरचित प्रकार → / आस्ति वर्गीकरण → / विवरण ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	6	-	6	-	-	-	-	-	29	17	39	-	85	29	17	45	-	91
		बकाया राशि	-	-	188.68	-	188.68	-	-	-	-	-	204.67	63.54	97.03	-	365.24	204.67	63.54	285.71	-	553.92
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97	0.26	1.39	-	2.63	0.97	0.26	1.39	-	2.63
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2	-	13	4	7	2	-	13
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.48	15.01	3.84	-	43.33	24.48	15.01	3.84	-	43.33
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.04	-	0.13	-	0.09	0.04	-	0.13
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-4	-2		-	6	-4	-2	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.63	(7.81)	(19.82)		-	27.63	(7.81)	(19.82)	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	(0.10)	-		-	0.10	(0.10)	-	-	-
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर वित्त के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ इसलिए उन्हें अगले वित्त के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	-				-	-10				-10	-10				-10
		बकाया राशि	-				-	-				-	(32.79)				(32.79)	(32.79)				(32.79)
		उस पर किए गया प्रावधान	-				-	-				-	(0.43)				(0.43)	(0.43)				(0.43)
5	वित्त के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		0	-		-	-	-	-	-	-	-4	-6	10		-	-4	-6	10	-	-
		बकाया राशि		-	-		-	-	-	-	-	-	(60.48)	8.15	52.33		-	(60.48)	8.15	52.33	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान		-	-		-	-	-	-	-	-	(0.20)	0.11	0.09		-	(0.20)	0.11	0.09	-	-
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या		-	-5		-5	-	-	-	-	-	-10	-2	-18		-30	-10	-2	-23	-	-35
		बकाया राशि		-	(151.49)		(151.49)	-	-	-	-	-	(88.82)	(21.11)	(35.06)		(144.99)	(88.82)	(21.11)	(186.55)	-	(296.48)
		उस पर किए गया प्रावधान		-	-			-	-	-	-	-	(0.52)	(0.14)	(1.04)		(1.71)	(0.52)	(0.14)	(1.04)	-	(1.71)
7	31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	15	12	31	-	58	15	12	32	-	59
		बकाया राशि	-	-	37.19	-	37.19	-	-	-	-	-	74.69	57.78	98.32	-	230.79	74.69	57.78	135.51	-	267.98
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.08)	0.23	0.48	-	0.63	(0.08)	0.23	0.48	-	0.63

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)
नोट : क्र.सं. 6 में आंकड़े ₹ 74.17 करोड़ (37 उधारकर्ता ₹ 0.55 के प्रावधान) शामिल हैं जो मौजूदा पुनर्गठित खातों से कमी/वसूली है।

(च) अनर्जक आस्तियों की प्रगति

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
	01 अप्रैल 2017 को सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ	823.28	1,008.18
	वर्ष के दौरान (नए अनर्जक परिसंपत्तियाँ) परिवर्धन	424.42	354.03
	उप योग (क)	**1,247.70**	**1,362.21**
	घटाएँ :–		
	(i) उन्नयन	17.15	40.13
	(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	133.45	181.41
	(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टा खाता	187.75	294.35
	(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए	6.93	23.04
	उप जोड़ (ख)	**345.28**	**538.93**
	यथा 31 मार्च 2018 को सकल अनर्जक आस्तियां (क–ख)	902.42	823.28

(छ) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
यथा 1 अप्रैल 2017 तकनीकी/बट्टे खाते में अथशेष	1,573.68	1,377.70
जोड़िए : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	187.75	294.35
उप योग (क)	**1,761.43**	**1,672.05**
घटाएं : वास्तविक बट्टे खाते	1.81	51.85
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूलियाँ	301.11	46.52
उप योग (ख)	**302.92**	**98.37**
31 मार्च, 2018 को इति शेष (क–ख)	1,458.51	1,573.68

(ज) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(झ) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(1)	विनिवेश		
	(i) सकल निवेश	9,200.42	8,407.88
	(क) भारत	9,200.42	8,407.88
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	460.22	468.37
	(क) भारत	460.22	468.37
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(iii) निवल निवेश	8,740.20	7,939.51
	(क) भारत	8,740.20	7,939.51
	(ख) भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति	-	-
	(i) अथशेष	48.77	50.18
	(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4.21	0.61
	(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई	-	-
	(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित/बट्टे खाते में डाले गए	2.97	-
	(v) घटाएं : निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	-	2.02
	(vi) इति शेष	50.01	48.77

* वित्त 2017–18 के दौरान निवल को घटा कर शून्य और वित्त 2016–17 के दौरान ₹ 2.02 करोड़ का निवल का प्रावधान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिती में अंतरण किया गया।

(ट) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

[₹ करोड़ में]

लाभ–हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का पृथक–पृथक विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
निवेश पर मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान #	(7.54)	(23.89)
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान #	0.00	103.80
आयकर के प्रति किया गया प्रावधान (आस्थगित कर–आस्ति/देयता सहित)	630.74	635.01
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित) $	73.82	11.68

अस्थिर प्रावधान के प्रतिलेखन पश्चात्. $ मानक आस्ति हेतु प्रावधान

(ठ) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	89%	87%

* पीसीआर की गणना करते समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया

(ड) वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटन

[₹ करोड़ में]

अवधि	लचीली पुनर्संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर–भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात्
पूर्ववर्ती वर्ष वित्त वर्ष 2016–17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वर्ष वित्त वर्ष 2017–18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ढ) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना संबंधी प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में स्टैंड–स्टिल अवधि में हैं)

[₹ करोड़ में]

उन खातों की संख्या जिनमें एसडीआर का अह्वान किया गया	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जाना शेष है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
1	शून्य	3.98*	शून्य	शून्य	शून्य	3.98*

* ₹ 3.98 करोड़ बकाया के कुल बकाया ऋण में से, एसडीआर प्रस्ताव के अनुसार ₹ 1.19 करोड़ ईक्विटी में परिवर्तित किया गया है और शेष बकाया ₹ 2.79 करोड़ ऋण के रूप में रखा गया है जिसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाद में, एसडीआर फाइल किया गया और अग्रणी बैंक एनसीएलटी में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

(त) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)

एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन/बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर/अथवा प्रवर्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(थ) परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनरूसंरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(द) यथा 31 मार्च 2018 दबावग्रस्त आस्तियों (एस 4ए) टिकाऊ संरचना योजना का प्रकटन

खातों की संख्या जहाँ एसए 4 लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रुप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनर्जक आस्ति के रुप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. निवेश पोर्टफोलियो : संगठन एवं परिचालन

(क) रेपो संब्यवहार

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2018 बकाया राशि
रेपो के तहत बेंची गयी प्रतिभूति				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतिया				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण [₹ करोड़ में]

जारीकर्ता	राशि	राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	674.12	-	-	-	141.00
वित्तीय संस्थायें	1,805.45	76.24	-	61.73	208.07
बैंक	1,628.76	80.00	-	103.50	103.50
निजी कार्पोरेट्स	1,275.68	309.51	-	346.81	314.19
अनुषंगी /संयुक्त उपक्रम		-	-	-	-
अन्य	3,816.40	873.65	-	873.65	2,933.65
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	-460.21				
योग	8,740.20	1,339.40	-	1,385.69	3,700.41

(ग) एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूति की विक्री एवं अंतरण :

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता (एचटीएम) श्रेणी को धारित कॉर्पोरेशन बैंक के टियर। पूंजीगत बॉन्ड ₹ 5.00 करोड़ का निवेश बेचा। उक्त के अलावा एचटीएम श्रेणी में कोई निवेश रूपांतरित नहीं किया गया।

5. खरीदी / बेंची गयी आस्तियों का विवरण

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(क)	**आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों बेंची गयी आस्तियों का विवरण**		
(I)	विक्री का विवरण		
	(i) खातों की संख्या	105	1
	(ii) एससी / आरसी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.00	13.17
	(iii) सकल प्रतिफल	64.07	27.66
	(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0
	(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	9.61	14.49
(II)	प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण		
	(i) अंतर्निहित के रूप में एआईएफआई द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	9.76	9.49
	(ii) अंतर्निहित के रूप में बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
	योग	9.76	9.49
(ख)	**खरीदी गयी / बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण**		
(I)	खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :		
	1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) सकल बकाया	-	-
	2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) सकल बकाया	-	-
(II)	बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :		
	बेंचे गए खातों की संख्या	105	1
	सकल बकाया	114.07	23.04
	सकल प्राप्त प्रतिफल	64.07	27.66

6. परिचालित परिणाम

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(i)	औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत	6.86	7.59
(ii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	0.55	0.44
(iii)	(प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.28	2.28
(iv)	(कराधान प्रावधान के पूर्व) औसत आस्तियों पर प्रतिफल	2.21	2.17
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. करोड़)	1.39	1.05

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर [₹ करोड़ में]

विवरण		वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश	570.66	548.72
(ii)	शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से सुरक्षित है और जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v)	स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम / गारंटियाँ जारी करना	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वादा	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोजर	877.43	749.79
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,448.09**	**1,298.51**

(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर – पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था।

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें – एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर निधिक राशि	पूंजी निधियों प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के संबंध में उसका प्रतिशत :

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18		वित्त वर्ष 2016–17	
		कुल आस्तियों का प्रतिशत	कुल निधियों का प्रतिशत	कुल आस्तियों का प्रतिशत	पूंजी निधियों का प्रतिशत
1	एकल बड़े उधारकर्ता	9.49	73.10	16.91	100.40
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	66.95	515.69	71.47	424.25
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) समस्त ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्र :

[₹ करोड़ में]

उद्योग का नाम	वित्त वर्ष 2017–18		वित्त वर्ष 2016–17	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	1,418.29	1.35	735.10	0.99
ऑटो एंसलरी	1,146.56	1.09	1,255.39	1.69
मेटल उत्पाद एन.ई.सी.	413.56	0.39	495.09	0.67
मशीनरी छोड़ कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	394.68	0.37	396.79	0.53
औषधीय निर्मितियाँ – एलोपेथिक	354.70	0.34	368.01	0.50

(iv) यथा 31 मार्च 2018 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹ 1662.88 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2018 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹ 163.61 करोड़ है.

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारकर्ताओं / ऋण व्यवस्था, ऋण एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां उधारियों का संकेन्द्रण

[₹ करोड़ में]

	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(i)	**उधारियों / ऋण व्यवस्था का संकेन्द्रण**		
	बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	58,482.38	49,658.04
	बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	57.41%	73.71%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेन्द्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	74,274.86	52,805.39
	कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	70.51%	71.13%
	बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	83,239.27	65,657.52
	कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	66.97%	64.44%

(iii) एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां का क्षेत्रवार संकेन्द्रण [₹ करोड़ में]

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017–18			वित्त वर्ष 2016–17		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	87,186.15	894.66	1.03%	63,518.56	823.28	1.30%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	257.19	0.10	0.04%	861.13	1.10	0.13%
5	अधिसूचित वाणिज्य बैंक	76,087.06	-	-	51,248.41	-	-
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	520.87	-	-	277.04	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	10,321.03	894.56	8.67%	11,131.98	822.18	7.39%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	2,176.59	7.76	0.36%	3,393.44	-	-
III.	अन्य *	17,134.27	-	-	7,850.83	-	-
	योग (I+II+III)	1,06,497.01	902.42	0.85%	74,762.83	823.28	1.10%

* अल्प वित्त बैंक एवं गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

8. व्युत्पन्निया

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
(क)	**वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय**		
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	यूएसडी 40,310,000	-
ii)	इस करार के तहत अन्य पक्ष द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	शून्य	-
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	शून्य	-
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	यूएसडी 201,550	-
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	यूएसडी (571,037)	-
(ख)	**विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ**		
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत–वार)	-	-
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत–वार)	-	-
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत–वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	-	-
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत–वार) और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं।	-	-

(ग) व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर संबंधी प्रकटन

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) बैंक अपनी आस्तियों एवं देयताओं से हुए ब्याज दर तथा विनिमय जोखिम के बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न का इस्तेमाल करके करता है. बैंक के सभी व्युत्पन्न उन विदेशी मुद्रा उधार के प्रति जोखिम बचाव के लिए है, जो एम्टीएम् नहीं हैं किन्तु केवल परिवर्तित हैं बैंक व्युत्पन्नों का व्यापार नहीं करता है।

(2) आंतरिक नियंत्रण दिशा – निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित की जाती है. व्युत्पन्न संरचनाओं का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद किया जाता है. व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति/बोर्ड को भी दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन–देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) गुणात्मक प्रकटीकरण

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017–18		वित्त वर्ष 2016–17	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	8,508.91		9,108.09	
(I)	बचाव के लिए	8,508.91	-	9,108.09	-
(ii)	व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	240.04		(122.27)	
(I)	आस्तियां (+)	240.04	-	(122.27)	-
(ii)	देयताएं (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	803.78	-	747.61	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पीवी01)	167.74		204.22	
(i)	बचाव व्युत्पन्नों पर	167.74	-	204.22	-
(ii)	व्यापार व्युत्पन्नों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
(i)	बचाव पर	186.30/167.74	-	258.27/204.22	-
(ii)	व्यापार पर	-	-	-	-

9. एआईएफआई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्न है :

[₹ करोड़ में]

यथा 31 मार्च 2017 को एलओसी के बकाए		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाई गयी एलओसी		यथा मार्च 31, 2018 बकाया एलओसी	
एलओसी की सं.	राशि	एलओसी की सं.	राशि	एलओसी की सं.	राशि	एलओसी की सं.	राशि
1	1.80	0	0.00	1	1.80	0	0.00

10. आस्ति देयता प्रबन्धन

[₹ करोड़ में]

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	271	346	5,191	5,974	3,992	38,591	1,009	-	55,374
अग्रिम	3,474	57	5,372	10,632	10,552	65,824	6,602	764	1,03,277
निवेश	2,805	1,200	3,909	2,096	1,606	195	364	4,202	16,377
उधारियां	300	400	8,134	22	17,159	6,228	2,741	502	35,486
विदेशी मुद्रा आस्तियां	11	95	722	120	1,023	3,154	2,903	3,370	11,398
विदेशी मुद्रा देयताएं	-	-	445	56	571	2,978	2,118	4,956	11,124

11. आराक्षितियों में से आहरण द्वारा कमी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आराक्षितियों से आहारं द्वारा कोई कमी नहीं हुई.

12. व्यवसाय अनुपात

[₹ करोड़ में]

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर पूर्व प्रावधान)	15.44	14.68
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व)	2.21	2.17
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. करोड़ में)	1.39	1.05

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण

पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया

14. ग्राहक शिकायतें

[₹ करोड़ में]

विवरण	वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
i वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2
ii वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	63	67
iii वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	63	67
iv वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	2

15. एसपीवी प्रायोजित तुलन पत्रोतर

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एसपीवी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है

16. विशिष्ट लेखांकन– मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5 – निवल लाभ अथवा अवधि की हानि, पूर्व अवधि के मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय – वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 'अन्य आय' में ₹ 24,23,74,283/– शामिल है जिसमें [पिछले वर्ष (₹ 1,78,32,983) और अनुसूची XIV में वर्णित विव 2017–18 के (₹ 3,68,62,070) के अवधि पूर्व के 'परिचालनगत व्यय' ₹ 6,72,68,874/– (पिछले वर्ष ₹ 41,27,095) का व्यय शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग – जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड के अनुसार अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है. बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी – ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं. ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है।

भाग क : कारोबारी खंड

[₹ करोड़ में]

	कारोबारी खंड	संपूर्ण परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		संपूर्ण परिचालन (अप्रत्यक्ष ऋण)		राजकोष		अन्य व्यवसाय		योग	
	विवरण	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017	वि व 2018	वि व 2017
1	खंड राजस्व	1,212	1,243	5,364	5,107	793	520	17	18	7,386	6,888
	असाधारण मदें									-	-
	योग									7,386	6,888
2	खंड परिणाम	200	22	1,958	1,806	209	165	9	9	2,376	2,002
	असाधारण मदें									-	-
	योग									2,376	2,002
	अविनिधानीय खर्चे									169	139
	परिचालन लाभ									2,207	1,863
	आयकर (पुनरांकन के बाद)									631	635
	सहयोगियों में लाभ का शेयर									1	1
	निवल लाभ									1,577	1,229
3	अन्य सूचना										
	खंड आस्तियां	9,744	10,709	97,463	69,192	15,356	7,109	48	46	1,22,611	87,056
	अविनिधानीय आस्तियां									1,720	1,035
	कुल आस्तियां									1,24,331	88,091
	खण्ड देयताएं	6,969	7,499	88,649	59,979	11,852	5,476	5	5	1,07,475	72,959
	अविनिधानीय देयताएं									1,871	1,581
	योग									1,09,346	74,540
	पूंजी/आरक्षितियाँ	2,793	3,215	6,717	6,577	5,432	3,733	43	26	14,985	13,551
	योग									14,985	13,551
	कुल देयताएं									1,24,331	88,091

भाग ख : भौगोलिक खंड – शून्य

(ग) लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

[₹ करोड़ में]

मदें / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी	योग
उधारियां #						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा #						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	0.27	-	0.27
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	0.27	-	0.27
जमा स्थान#						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
अग्रिम#						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश #						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	28.60	-	-	28.60
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	28.60	-	-	28.60
गैर निधीकरण वचनबद्धताएं#						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
ली गयी पट्टा व्यवस्था#						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपलब्ध काराई गयी पट्टा व्यवस्था#						
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम				-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	2.16	-	-	2.16
सेवा देना*	-	-	2.00	-	-	2.00
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	-	-	-	-
करारों का प्रबंध *	-	-	-	1.78**	-	1.78**

@निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम प्रकट किया जाए।

* करार गत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएं नहीं हैं

** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17. पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन

पेंशन एवं उपदान देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया जाता है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

[राशि ₹ में]

31 मार्च, 2017	आस्तियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
18,63,00,06,890	लाभ–हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		22,07,29,34,129
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
20,14,10,951	मूल्यह्रास	11,44,13,211	
61,30,31,066	निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान	(19,31,47,663)	
1,89,75,58,851	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	1,57,99,47,620	
(2,34,88,06,643)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(2,51,13,83,994)	
(35,54,143)	स्थिर आस्थिओं की बिक्री से लाभ	(22,69,860)	
(11,98,96,737)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(7,34,78,100)	(1,08,59,18,785)
18,86,97,50,235	**परिचालनों से उपार्जित नकदी** (परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		**20,98,70,15,344**
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन :		
(3,35,97,77,242)	चालू आस्तियाँ	(6,96,24,96,647)	
(4,19,37,68,002)	चालू देयताएँ	2,09,36,84,066	
4,04,85,71,508	विनिमय बिल	1,81,37,84,030	
(58,77,96,88,144)	ऋण एवं अग्रिम	(3,17,53,17,83,144)	
10,86,22,06,929	बोंडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	31,66,20,54,018	
34,11,79,89,717	प्राप्त जमा	3,13,87,68,96,577	
(17,30,44,65,234)			24,95,21,38,900
1,56,52,85,001			45,93,91,54,244
(7,49,43,40,588)	कर अदायगी	(5,889,7,36,590)	(5,88,97,36,590)
(5,92,90,55,586)	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		40,04,94,17,654
	2. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		
(15,14,63,380)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय)/विक्रय	(46,37,51,683)	
17,95,34,79,388	निवेशों का निवल (क्रय)/विक्रय/शोधन	(16,49,23,60,626)	
11,98,96,737	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	24,50,87,253	
17,92,19,12,744	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(16,71,10,25,056)**
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
19,99,99,99,999	शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,13,95,59,966)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,30,21,42,163)	
18,86,04,40,033	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,30,21,42,163)
30,85,32,97,191	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)**		**22,03,62,50,435**
36,51,05,43,619	**5. अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**67,36,38,40,810**
67,36,38,40,810	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**89,40,00,91,245**

[राशि ₹ में]

31 मार्च, 2017	आस्तियाँ	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी–तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,83,614	हाथ में नकदी		6,24,411
27,91,71,940	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		21,03,83,844
35,84,73,20,553	म्यूचुअल फंड		22,01,00,00,018
31,23,66,64,703	जमाराशियाँ		67,17,90,82,972

टिप्पणी : नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस–3 (संशोधित) "नकदी प्रवाह विवरण" में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ XV

लेखा – टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के निदेशानुसार

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 101794 डब्ल्यू

आर के दास
मुख्य महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उद्–भाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

अजय कुमार कपूर
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के दफ्तरी
साझीदार
एम.नं. 010279

शरद शर्मा
निदेशक

जे. चन्द्रशेखरन
निदेशक

नई दिल्ली
12 मई, 2018

नोट्स

नोट्स

नोट्स

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial | SIDBIOfficial | SIDBIOfficial

Degree 360 Solutions Pvt. Ltd.